अनुसंधान प्रतिवेदन क्र.

शासकीय उपयोग हेतु

अनुसूचित जनजातियों के लिये ऋण की उपलब्धता

(छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में)

मार्गदर्शन	: एम.एस. परस्ते भा.प्र.से.
निर्देशन एवं सम्पादन	: एल.के. मिश्रा
प्रतिवेदन	: एस.एन. श्रीवास्तव
सहयोग	: डॉ. अनिल विरूलकर कु. सरिता खलखो

छत्तीसगढ़ शासन

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर (छ.ग.)

2010

Scanned with CamScanner

अनुसंधान प्रतिवेदन क्र. .... शासकीय उपयोग हेतु

अनुसूचित जनजातियों के लिये ऋण की उपलब्धता

(छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में)

मार्गदर्शन	:	एम.एस. परस्ते भा.प्र.से.
निर्देशन एवं सम्पादन	:	एल.के. मिश्रा
प्रतिवेदन	:	एस.एन. श्रीवास्तव
सहयोग	:	डॉ. अनिल विरूलकर
		कु. सरिता खलखो

छत्तीसगढ़ शासन

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर (छ.ग.)

2010

Scanned with CamScanner

अनुक्रमणिका

		पृष्ट
अध्याय – एक	अनुसूचित जनजातियों के लिए ऋण की उपलब्धता भूमिका, अध्ययन का उद्देश्य, अध्ययन का महत्व अध्ययन क्षेत्र, अध्ययन प्रविधि।	1–6
अध्याय – दो	जनजातीय परिचय छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियाँ–जनसंख्या, जिलावार एवं जातिवार जनसंख्या, आर्थिक आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण, कार्यशील जनसंख्या, शिक्षा।	7–12
अध्याय – तीन	सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति सर्वेक्षित अनुसूचित जनजाति परिवारों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति, सर्वेक्षित जनजाति परिवारों की संख्या, जनजातिवार परिवारों की संख्या, जनसंख्या, आयु वर्ग अनुसार जनसंख्या, परिवार का औसत आकार, वैवाहिक स्थिति, कार्यशील एवं अकार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या का व्यवसायिक वर्गीकरण, आवास, भूमि, पशुधन, पक्षीधन, शिक्षा साक्षरता दर शैक्षणिक स्तर, वार्षिक आय–व्यय।	13–24
अध्याय – चार	ऋणग्रस्तता ऋण प्रयोजन, ऋण विहीन एवं ऋण ग्रहीता परिवारों की संख्या, जनजातिवार ऋणग्रहीता परिवारों की संख्या, ऋण प्रयोजन अनुसार ऋणग्रहीता परिवारों की संख्या, ऋण प्रयोजन अनुसार जनजातिवार ऋणग्रहीता परिवारों की संख्या, आय वर्ग अनुसार ऋण का प्रयोजन।	25–29
अध्याय – पाँच	ऋण स्रोत ऋण विहीन तथा ऋणग्रहीता परिवारों की संख्या अनुसूचित जनजातियों के लिए ऋण उपलब्धता के स्रोत, ऋण के स्रोत अनुसार ऋणग्रहीता परिवारों की संख्या, स्त्रोत अनुसार जनजाति परिवारों की संख्या, वित्तीय संस्थाएँ।	30–51
अध्याय – छः	ऋण की आवश्यकता एवं उपलब्धता तथा कठिनाइयाँ	52–55
अध्याय – सात	निष्कर्ष एवं सुझाव	56–58

Scanned with CamScanner

अध्याय – 1
अनुसूचित जनजातियों के लिये ऋण की उपलब्धता

1.1 पृष्ठभूमि

भारत की कुल जनसंख्या का 8.14 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों का है। वर्ष 2001 की जनगणनानुसार इनकी जनसंख्या 8.451 करोड़ है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जनजातियों की संख्या 697 है। इसमें से 75 अनुसूचित जनजातियों को भारत सरकार द्वारा विशेष पिछड़ेपन के आधार पर आदिम जनजाति समूह (Particular Vulnerable Tribal Groups) के रूप में चिन्हित किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या 2.08 करोड़ है, इसमें से 66.16 लाख अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है जो राज्य की कुल जनसंख्या का 31.76 प्रतिशत है। राज्य की जनजातीय जनसंख्या का 94.66 प्रतिशत भाग ग्रामों में तथा 5.34 प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में निवासरत है।

राज्य में मुख्यतः 31 अनुसूचित जनजातियां निवासरत हैं, इनमें से गोंड 56.30 प्रतिशत, कंवर 11.49 प्रतिशत, उरांव 9.76 प्रतिशत तथा भतरा 2.80 प्रतिशत है। शेष जनजातियों की जनसंख्या बहुत कम हैं। भारत सरकार द्वारा चिन्हित 75 आदिम जनजाति समूहों में से 5 आदिम जनजातियां (अबुझमाड़िया, कमार, बैगा, बिरहोर तथा पहाडी कोरवा) छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत है। आदिम जनजाति समूहों (विशेष पिछड़ी जनजातियों) की जनसंख्या राज्य की कुल जनजाति जनसंख्या का 1.6 प्रतिशत है।

राज्य की अनुसूचित जनजातियां मुख्यतः सुदूर वनांचलों तथा भौगोलिक अलगाव की स्थिति में निवासरत है। इनकी पृथक सांस्कृतिक सामाजिक पहचान है। ये आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से अन्य समुदायों की तुलना में पिछड़े हुये हैं।

ब्रिटिश शासन काल में जनजातियों को विकास की मुख्य धारा से अलग रखा गया था तथापि जनजातियां अपने रहन सहन एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियों तथा सामूहिकता की भावना के कारण अपने अस्तित्व को बनाये रखने में सफल हैं। इनकी आवश्यकताएँ न्यून तथा उत्पादन मुख्यतः उपभोग के लिये हुआ करता है।

Scanned with CamScanner

स्वतंत्रता के उपरान्त जनजातियों को एक नई विकासशील व्यवस्था से जूझना पड़ा है। पूर्व में आदिवासियों में सामाजिक–आर्थिक जीवन में मुद्रा का महत्व बहुत कम था, उस समय वस्तु विनिमय प्रथा का प्रचलन था। ऋण नगण्य मात्रा में हुआ करता था। विकास के शुरूआती दौर में जनजातियाँ शासन से निःशुल्क सहायता एवं ऋण लेना भी पसंद नहीं करते थे। वे अपने सामूहिक प्रयास व सहयोग से ही अपनी आर्थिक समस्याओं का निराकरण कर लेते थे अथवा विवशतावश परिस्थितियों से समझौता करना अपनी नियति समझते थे।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शैक्षणिक–आर्थिक एवं सामाजिक विकास का दायित्व राज्य सरकारों को सौंपा गया है तथा इनके हितों का संरक्षण एवं इन्हें सभी प्रकार के अन्याय व शोषण से मुक्त करना राज्य का कर्तव्य माना गया है।

केन्द्र एवं राज्य की पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि, सिंचाई, उद्योग, शिक्षा, परिवहन आदि समाजिक आर्थिक विकास की योजनाएं संचालित की गई है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिये पृथक से भी अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इन योजनाओं से जनजाति क्षेत्र तथा जनजातियां राष्ट्र की मुख्य धारा से निरन्तर सम्पर्क में आ रही है। इनके जीवन में गुणात्मक विकास हुआ है। अंधविश्वास, रूढ़ीवादिता तथा शासन के प्रति अविश्वास तथा भय की भावना में कमी आयी है अब वे आर्थिक विकास हेतु वित्तीय संसाधनों जिसमें ऋण अनुदान का समावेश है, का उपयोग करने लगे हैं।

जनजातीय क्षेत्रों में मुद्रा की महत्ता बढ़ने तथा विकास कार्यक्रमों की गति से जनजातियां उसमें शामिल होकर प्रगति की ओर बढ़ने लगे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है। आवश्यकताएं बढ़ती गई हैं अतः उन्हें भी अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिये आर्थिक सहायता तथा ऋण लेना आवश्यक प्रतीत होने लगा है। आज जनजाति क्षेत्रों में पोस्ट ऑफिस, राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं का पूर्व की तुलना में बहुत अधिक प्रसार हुआ है। जनजातियों में शिक्षा साक्षरता की दर में वृद्धि तथा विकास की इच्छा एवं अवसर में वृद्धि के कारण ऋण की महत्ता कई गुना बढ़ गई है।

भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय (आर. एवं एम. डिवीजन) नई दिल्ली का सचिव आदिमजाति कल्याण विभाग म.प्र. शासन को सम्बोधित पत्र क्रमांक एफ No. 15012/1/2005 R 8. M(TRI) दिनांक 04 सितम्बर 2006 के द्वारा यह सूचित किया गया है। मंत्रालय द्वारा राष्ट्रस्तरीय अध्ययन अर्न्तगत् चयनित विषयों में से एक विषय "अनुसूचित जनजातियों के लिये ऋण की उपलब्धता" है। छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजातियों पर इस अध्ययन का दायित्व केन्द्र शासन द्वारा आदिमजाति अनुसंधान संस्थान, रायपुर छत्तीसगढ़ को सौंपा गया था।

Scanned with CamScanner

1.2 अध्ययन का उद्देश्य :—

प्रस्तुत अध्ययन "अनुसूचित जनजातियों के लिये ऋण की उपलब्धता" के प्रमुख उद्देश्य संक्षिप्त में निम्नानुसार है :

1. अनुसूचित जनजातियों के लिये ऋण की उपलब्धता के स्रोत ज्ञात करना।
2. ऋण प्राप्त करने का प्रयोजन।
3. अनुसूचित जनजातियों को ऋण की उपलब्धता की शर्ते – ब्याज दर।
4. अनुसूचित जनजातियों के लिये ऋण उपलब्धता।
5. आवश्यकता के मान से ऋण की उपलब्धता ज्ञात करना।
6. क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं।
7. अनुसूचित जनजातियों को ऋण की उपलब्धता बढ़ाये जाने बाबत सुझाव

1.3 अध्ययन क्षेत्र :—

अध्ययन हेतु राज्य में तीन जनजाति बाहुल्य बिना जशपुर, सरगुजा, कांकेर तथा जनजातीय विकास की त्वरीत प्रभाव युक्त रायपुर जिले के आदिवासी विकास खण्डों का चयन किया गया। इनमें से प्रत्येक जिले से दो आदिवासी बाहूल्य विकासखण्ड तथा प्रत्येक विकासखण्ड से दो ग्रामों के शत्–प्रतिशत जनजाति परिवारों का अध्ययन किया गया है। ग्रामों के चयन में इस बात का ध्यान रखा गया है कि विकासखण्ड के चयनित दो ग्रामों में से एक ग्राम वन के समीप हो। विकासखंड मुख्यालय से 10 किमी. की दूरी तक का एक ग्राम तथा विकासखण्ड मुख्यालय से 15–20 किमी. की दूरी पर स्थित दूसरे ग्राम का अध्ययन हेतु चयन किया गया है।

अध्ययन हेतु चयनित ग्रामों का विवरण निम्नानुसार है :

क्रं.	जिला	आदिवासी विकासखण्ड	ग्राम	सर्वेक्षित जनजातीय परिवारों की संख्या
1	2	3	4	5
1	सरगुजा	1 अम्बिकापुर	1. बकालो	32
			2. मानिक प्रकाशपुर	57
		2 बतौली	1. देवरी	38
			2. नयाबांध	28
	उप–योग (1)	2	4	155

Scanned with CamScanner

2	जशपुर	1 बगीचा	1 बसाडीह	34
			2 बांसटोली	43
		2 कुनकुरी	1 बरडांड	44
			2 सराईटोली	14
	उप–योग (2)	2	4	135
3	कांकेर	1 चारामा	1 गोलकुम्हड़ा	29
			2 खैरखेडा	33
		2 नरहरपुर	1 भैसमुडी	27
			2 मरादेव	25
	उप–योग (3)	2	4	114
4	रायपुर	1 गरियाबंद	1 भेजराडीह	49
			2 बम्हनी	18
		2 छुरा	1 धरमपुर	44
			2 दीवना	29
	उप–योग (4)	2	4	140
	महायोग	8	16	544

1.4 अध्ययन का महत्व

अनुसूचित जनजातियों के लिये ऋण की उपलब्धता एक आर्थिक पहलू ही न होकर सामाजिक आर्थिक महत्व का एक दूसरे से संबंधित विषय वस्तु है। अनुसूचित जनजातियों के लिये ऋण उपलब्धता उनके जीविका के साथ–साथ पारिवारिक–सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भी आवश्यक है। अतएव इस अध्ययन का बहुउद्देशीय महत्व है।

जनजातियों का सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन जल, जंगल और जमीन पर निर्भर है। इनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि है। जनजातीय कृषि सामान्यतः मानसूनी वर्षा पर आधारित होती है जिसके फलस्वरूप उत्पादन की प्रकृति अनिश्चित होती है। कृषि जोतों का लघु आकार, भूमि की उत्पादकता में कमी के बावजूद अनुसूचित जनजातियों में उन्नत बीज, खाद, कीटनाशकों तथा आधुनिक कृषि उपकरणों की मांग बढ़ी है। कृषि उपजों का उचित मूल्य मिलने लगा है। जनजातियाँ अपने जीवन में गुणात्मक सुधार लाने प्रयासरत है। इससे उनके ऋण आवश्यकता में भी इजाफा हुआ है। वे उत्पादक ऋण के साथ–साथ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अनाज आदि अनुत्पादक प्रयोजनों के लिये भी ऋण ले रहे हैं।

Scanned with CamScanner

अनुसूचित जतजातियों में ऋण प्राप्ति के स्रोत एवं सीमा में बहुत बदलाव आया है। पूर्व में अनुसूचित जनजातियों के ऋण का प्रमुख स्रोत साहूकार हुआ करता था। आज जनजातीय क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक तथा सहकारी शाखा समितियों का विस्तार हुआ है। जनजातियों को इन वित्तीय संस्थाओं से, जो अब उनकी पहुंच की परिधि में स्थापित है सहजता से ऋण उपलब्ध हो सकता है। यह जानना आवश्यक है, कि बैंकों तथा सहकारी समितियों जैसे वित्तीय संस्थानों की अनुसूचित जनजातियों को ऋण उपलब्ध कराने में कितनी भागीदारी है।

आदिवासी विकास का लक्ष्य जनजातियों के समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास के अरितिक्त उन्हें शोषण से मुक्त करना भी है। पूर्व में अनुसूचित जनजातियों को ऋण उपलब्ध कराने में समहूकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, परन्तु अनेक स्थानों पर साहूकारी प्रथा जनजातियों के शोषण का प्रमुख कारक सिद्ध हुई है। साहूकारों, बैंकों तथा अन्य ऋण स्रोतों का अनुसूचित जनजातियों को ऋण उपलब्ध कराने में सहभागिता को स्पष्ट रूप से आंकलन करने यह अध्ययन महत्वपूर्ण है।

भारत सरकार तथा राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक एवं व्यवसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने तथा वित्त एवं ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने ट्राइफेड राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त निगम तथा अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई है।

उपर्युक्त स्थितियों में अनुसूचित जनजातियों के लिये ऋण की उपलब्धता विषय पर अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

1.5 अध्ययन अवधि

वर्ष 2007.08 की अवधि में अनुसूचित जनजातियों को ऋण की उपलब्धता का अध्ययन किया गया है।

1.6 अध्ययन प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन में छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत अनुसूचित जनजातियों के लिये ऋण की उपलब्धता विषय अध्ययन किया गया है। उद्देश्य मूलक निदर्शन पद्धति से जिला–विकासखण्ड तथा ग्रामों का चयन किया गया है। चयनित ग्रामों के शत प्रतिशत जनजाति परिवारों का जनगणना पद्धति से सर्वेक्षण किया गया है। तथ्यों के संकलन हेतु स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त सर्वेक्षण कार्यकर्ताओं का चयन कर उन्हें अध्ययन के लिये आवश्यक प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन दिया गया।

Scanned with CamScanner

तत्पश्चात संयुक्त आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर के निर्देशन में सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न किया गया।

सर्वेक्षण हेतु निम्नांकित अनुसूचियों के माध्यम से तथ्य संकलित किये गये हैं।

1. <u>ग्राम अनुसूची :–</u>

   ग्राम अनुसूची के माध्यम से ग्राम की जनसंख्या, जनजाति जनसंख्या, उपलब्ध अधो संरचना तथा वित्तीय संस्थाओं की जानकारी प्राप्त की गई।

2. <u>परिवार अनुसूची :–</u>

   यह अनुसूची सर्वेक्षण की प्रमुख अनुसूची है। इसके माध्यम से परिवार के सामाजिक आर्थिक स्थिति तथा ऋणग्रस्तता संबंधी जानकारी एकत्र की गई है।

3. <u>बैंक अनुसूची :–</u>

   सर्वेक्षित जनजाति क्षेत्र में कार्यरत वित्तीय संस्थानो यथा बैंक से जनजातियों को उपलब्ध कराये गये ऋण की जानकारी एकत्र की गई है।

1.7 सर्वेक्षण दल

आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में अनुसंधान कर्मियों की कमी तथा सर्वेक्षण कार्य की व्यापकता को ध्यान में रखते हुये सर्वेक्षण कार्य के लिये स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त छात्रों का चयन कर उन्हें अस्थायी रूप से मानदेय पर नियुक्त किया गया तथा पूर्व उप–संचालक अनुसंधान को मानदेय पर समन्वयक नियुक्त कर संयुक्त संचालक आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर के निर्देशन में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया गया। मानदेय पर निम्न व्यक्तियों को सेवाएं ली गई।

1. एस.एन. श्रीवास्तव (समन्वयक) पूर्व उपसंचालक अनुसंधान – एम.कॉम., एम.ए.
2. कु. सरिता खलखो (सर्वेक्षण कार्यकर्ता) एम. ए., एम. फिल.
3. संतोष यादव (सर्वेक्षण कार्यकर्ता) एम. ए.
4. यदुनंदन साहू (सर्वेक्षण कार्यकर्ता) एम.ए.

Scanned with CamScanner

अध्याय – 2

जनजातीय परिचय

2.1 जनसंख्या

1 नवम्बर 2000 को भारत के 26 वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य मध्यप्रदेश से पृथक होकर अस्तित्व में आया।

2001 की जनगणनानुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या 20833803 है। राज्य के 94.68 प्रतिशत व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र मे तथा 5.32 प्रतिशत व्यक्ति नगरीय क्षेत्र में निवासरत हैं। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 66,15596 थी जो राज्य के कुल जनसंख्या का 31.76 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण, नगरीय एवं लिंग अनुसार जनसंख्या वितरण निम्नांकित है:–

सरणी – 2.1
छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 2001

क्रं.	विवरण	जनसंख्या					
		पुरूष		स्त्री		कुल	
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	ग्रामीण	3106086	94.49	3158749	94.88	6264835	94.68
2.	नगरीय	181248	5.51	170513	5.12	3517611	5.32
	कुल	3287334	100.00	3329262	100.00	6616596	100.00

जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के 16 जिलों में (वर्तमान में 18 जिले) अनुसूचित जनजाति जनसंख्या निम्नांकित सारणी में दर्शित हैं :–

सारणी 2.2
जिलावार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वर्ष 2001

क्रं.	जिला	कुल जनसंख्या	जनजाति जनसंख्या	कुल जनजाति जनसंख्या से प्रतिशत
1.	सरगुजा	1972094	1076669	54.59
2.	बस्तर*	1306673	866488	66.31
3.	दन्तेवाडा*	719487	564931	78.52
4.	जशपुर	743160	469953	63.24
5.	रायगढ़	1265529	447703	35.38
6.	कोरबा	1011823	419889	41.50
7.	बिलासपुर	1998355	397104	19.87
8.	रायपुर	301693	365273	12.11
9.	कांकेर	650934	365273	56.08
10.	दुर्ग	2810436	348801	12.41
11.	राजनांदगांव	1283224	341686	26.63
12.	कोरिया	586327	260040	44.35
13.	महासमुंद	860257	232485	27.02
14.	धमतरी	706591	185515	26.25
15.	जंजगीर–चांपा	1317431	153069	11.62
16.	कवर्धा	584552	121957	20.86

Scanned with CamScanner

(बस्तर जिला वर्तमान में बस्तर, नारायणपुर तथा दन्तेवाड़ा जिला क्रमशः दन्तेवाड़ा एवं बीजापुर जिले में विभक्त किया गया हैं।)

उपरोक्त सारणी में दर्शित है कि, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जिला दन्तेवाड़ा में 78.62 प्रतिशत तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या जांजगीर चाम्पा जिले में 11.62 प्रतिशत है। सरगुजा, बस्तर, दन्तेवाड़ा, जशपुर तथा रायगढ़ जिलों में राज्य की कुल जनजाति जनसंख्या का 51.77 प्रतिशत भाग निवासरत है।

छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत प्रमुख अनुसूचित जनजातियों की जातिवार जनसंख्या निम्नानुसार हैं :-

सारणी – 2.3
अनुसूचित जनजातियों की जातिवार जनसंख्या

(2001 की जनगंणना)

क्रमांक	अनुसूचित जनजाति	जनसंख्या	कुल जनजाति जनसंख्या से प्रतिशत
1.	गोंड	3659384	55.31
2.	कंवर	760298	11.49
3.	उरांव	645950	9.76
4.	हल्बा	326671	4.94
5.	भतरा	185514	2.80
6.	सवरा	164718	1.58
7.	कोरवा	102033	1.54
8.	बिंझवार	100692	1.52
9.	भुईहर, भूमिया	88981	1.34
10.	नगेसिया	84846	1.28
11.	बैगा	69993	1.06
12.	माझी	60246	0.91
13.	खैरवार	58701	0.89
14.	अगरिया	54574	0.82
15.	मझवार	48510	0.73
16.	भैना	46452	0.70
17.	धनवार	42172	0.64
18.	खरिया	41901	0.63
19.	कमार	23113	0.35
20.	कोल	16966	0.26
21.	पाव	13071	0.20
22.	मुंडा	12383	0.19
23.	पारधी, बहेलिया	10757	0.17
24.	परधान	10421	0.16
25.	कोंध, खोंड	10114	0.15
26.	भुंजिया	9357	0.14
27.	गदबा, गदाबा	6317	0.10
28.	बिआर, बीयर	4403	0.07
29.	साओता, सौंता	2959	0.04
30.	बिरहुल, बिरहोर	1744	0.03
31.	परजा	1588	0.02
32.	अन्य जनजातियां	11765	0.17
	योग	6616596	100.00

Scanned with CamScanner

2.2 छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक जीवन के आधार पर वर्गीकरण

छत्तीसगढ़ की जनजातियों का जीविकोपार्जन का साधन कृषि मजदूरी वनोपज संग्रहण शिकार तथा वन आधारित कुटीर उद्योग हैं। इनके आर्थिक जीवन को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है :–

खाद्य संग्राहक व शिकारी जनजातियां

इस समूह की जनजातियां मुख्यतः कंदमूल फल, बीज जंगली भाजी का संग्रह करते हैं तथा खरगोश, हिरण, गोह, लोमड़ी आदि का शिकार करते है। इस वर्ग में बिरहोर तथा पहाड़ी कोरवा आते हैं।

आदिमकृषि, शिकारी तथा वनोपज संग्राहक जनजातियां

इस समूह की जनजातियां जंगल में पेड़ों को काटकर व जलाकर उस भूमि पर कृषि करते हैं, इस समूह में बैगा, अबुझमाड़िया कमार आदि जनजातियां आती है। वर्तमान में बेवर कृषि पर शासन द्वारा प्रतिबंध होने के कारण स्थाई कृषि करने लगे है।

कृषक जनजातियां

इस समूह की जनजातियां वनोपज संग्रहण के साथ स्थायी कृषि करते हैं। इस वर्ग में गोंड, उरांव, कंवर, भतरा, बिंझवार, सवरा आदि आते हैं।

उन्नत कृषक जनजातियां

इस वर्ग में वे जनजातियां हैं जो पूर्व में जागीरदार, मालगुजार, आदि थे। इस समूह की जनजातियों में कंवर, राजगोंड, गोंड, हल्बा जाते हैं।

शिल्पकार जनजातियां

इस वर्ग की जनजातियां बांस से टोकरी, सूपा, झउहा आदि बनाते हैं। इस समूह में कमार, कंडरा, बैगा, सौंता, माझी, दोरला आदि आते हैं। शिकारी पारधी जनजाति के लोग झाडू, चटाई, टोकरी आदि बनाते हैं।

कला कौशल में संलग्न जनजातियां

गोंड की उपजाति परधान, किन्नरी बजाकर लोकगीत गाकर तथा ओझा गोंड डहकी बजाकर जनजातियों के घर भिक्षा मांगते है। खैरवार जनजाति की महिलाएं खैर वृक्ष से कत्था बनाने का कार्य करती है।

Scanned with CamScanner

2.3 शिक्षा

शिक्षा सामाजिक–आर्थिक विकास तथा प्रचलित व्यवस्था से समायोजित होने अथवा संघर्ष करने के लिये अत्यावश्यक सामाजिक उपकरण है। छत्तीसगढ़ राज्य में जनजाति साक्षरता की स्थिति निम्नानुसार है –

सारणी–2.4

अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर (जनगणना 2001)

क्रं.	विवरण	साक्षरता दर		
		पुरूष	महिला	कुल
1	2	3	4	5
1.	छत्तीसगढ़ राज्य	77.40	51.90	64.40
2.	अनुसूचित जनजातियां	65.00	39.30	52.18

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजातियों की कुल साक्षरता 52.18 प्रतिशत, राज्य की कुल साक्षरता दर 64.40 प्रतिशत की तुलना में कम है। राज्य में अनुसूचित जनजाति के पुरूष वर्ग की साक्षरता 65.0 प्रतिशत है, वहीं स्त्री अनुसूचित जनजाति साक्षरता 39.3 प्रतिशत है। विभिन्न जनजातियों में साक्षरता दर में भिन्नता है। जो निम्न सारणी में प्रदर्शित है :–

Scanned with CamScanner

सारणी–2.5
छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर (जनगणना 2001)

क्रं.	विवरण	जनजाति साक्षरता दर		
		पुरूष	महिला	कुल
1	2	3	4	5
1.	हल्बा / हल्बी	85.28	63.30	74.06
2.	उरांव	72.57	51.98	62.24
3.	सवर, सवरा	76.32	46.88	61.95
4.	परधान, पथारी, सरोती	76.11	47.10	61.26
5.	कंवर, कवर	76.58	45.56	60.99
6.	कोंध, खोंड़	75.69	46.38	60.60
7.	बिआर, बीयार	72.44	41.45	57.07
8.	मुंडा	70.25	43.38	57.02
9.	बिंझवार	69.80	37.51	53.57
10.	पाव	68.81	37.94	53.34
11.	खरिया	65.02	39.59	52.00
12.	भैना	67.99	34.64	51.35
13.	खैरवार, कोंदर	67.17	35.19	51.26
14.	परजा	62.67	38.91	50.71
15.	गदाबा, गदबा	65.86	33.22	49.22
16.	गोंड एवं उप जातियाँ	62.05	36.56	49.17
17.	कोल	63.55	33.19	48.56
18.	नगेसिया, नगासिया	60.57	33.96	47.33
19.	भुंजिया	62.36	28.69	45.28
20.	भुईहर, भूमिया	53.36	29.74	41.63
21.	माझी	52.37	25.59	39.02
22.	अगरिया	51.76	25.92	38.80
23.	भतरा	52.64	23.55	38.05
24.	पारधी, बहेलिया, बाहेलिया	48.35	27.63	38.02
25.	कोरवा, कोडाकू	42.54	23.10	32.32
26.	कमार	43.05	21.88	32.26
27.	बैगा	43.87	18.68	31.35
28.	धनवार	42.36	19.14	30.80
29.	मझवार	40.47	17.52	29.04
30.	सओंता, सौंता	38.77	19.03	28.58
31.	बिरहुल, बिरहोर	35.43	14.84	25.25

छत्तीसगढ़ राज्य में जिलावार अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर निम्नानुसार है :–

Scanned with CamScanner

सारणी – 2.6
जिलावार जनजाति साक्षरता दर

क्रं.	विवरण	अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर		
		पुरूष	महिला	कुल
1	2	3	4	5
1.	कांकेर	78.7	58.3	68.40
2.	जशपुर	73.0	51.0	61.91
3.	कोरिया	65.8	37.5	51.86
4.	कोरबा	65.7	33.7	49.73
5.	सरगुजा	60.8	35.6	48.28
6.	बस्तर	47.4	23.1	35.13
7.	दन्तेवाड़ा	30.4	13.4	21.75
8.	राजनांदगांव	85.2	65.4	75.5
9.	दुर्ग	85.3	61.6	73.28
10.	धमतरी	81.8	55.1	68.30
11.	रायगढ़	74.9	45.9	60.31
12.	रायपुर	73.3	41.0	57.01
13.	बिलासपुर	68.7	35.5	52.05
14.	महासमुन्द	75.0	45.0	60.03
15.	जंजगीर–चांपा	75.0	39.6	57.04
16.	कवर्धा	59.0	29.07	44.04

दन्तेवाड़ा जिले में न्यूनतम 21.75 प्रतिशत साक्षरता है। इसके पश्चात बस्तर 35.13 प्रतिशत, कवर्धा 44.04 प्रतिशत, सरगुजा 48.28 प्रतिशत तथा कोरबा 49.73 प्रतिशत का क्रम हैं शेष जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक जनजाति साक्षरता दर पाई गई है।

50 प्रतिशत से अधिक जनजाति महिला साक्षरता वाले जिले हैं – राजनांदगांव 65.4 दुर्ग 61.1 प्रतिशत, कांकेर 58.3 प्रतिशत धमतरी 55.1 प्रतिशत तथा जशपुर 51.0 प्रतिशत।

30 प्रतिशत से कम जनजाति महिला साक्षरता वाले जिले है। दन्तेवाड़ा 13.4 प्रतिशत बस्तर 23.1 प्रतिशत एवं कवर्धा 29.7 प्रतिशत है।

Scanned with CamScanner

अध्याय – 3

आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति

परिवार के आय के स्रोत, कुल आय, व्यय, आमद, कुल व्यय, बचत अथवा ऋण की स्थिति को प्रभावित करती है अतः प्रस्तुत अध्ययन हेतु सर्वेक्षित अनुसूचित जनजाति परिवारों की सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का भी अध्ययन किया गया है जो संक्षिप्त में बिन्दुवार निम्नानुसार है :–

सारणी –3.1
सर्वेक्षित अनुसूचित जनजाति परिवार

क्रमांक	जिला	सर्वेक्षित जनजाति परिवारों की संख्या	प्रतिशत
1.	सरगुजा	155	28.49
2.	जशपुर	135	24.81
3.	कांकेर	114	20.96
4.	रायपुर	140	25.74
	योग	544	100.00

सारणी से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा, जशपुर, कांकेर एवं रायपुर जिले के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के 16 सर्वेक्षित जनजाति ग्रामों के 544 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है। इसका विवरण निम्नानुसार है :–

सारणी –3.2
सर्वेक्षित परिवारों की जनजातिवार संख्या

क्रमांक	जनजाति	परिवारों की जिलावार संख्या					
		सरगुजा	जशपुर	कांकेर	रायपुर	कुल	प्रतिशत
1.	उरांव	125	101	–	–	226	41.55
2.	गोंड	03	–	114	55	172	31.62
3.	कमार	–	–	–	79	79	14.52
4.	मुंडा	–	34	–	–	34	6.25
5.	कोरवा	27	–	–	–	27	4.96
6.	कंवर	–	–	–	03	03	0.55
7.	भुंजिया	–	–	–	02	02	0.37
8.	हल्बा	–	–	–	01	01	0.18
	योग	155	135	114	140	544	100.00

Scanned with CamScanner

सर्वेक्षित जनजाति परिवारों में 226 उरांव परिवार 41.55 प्रतिशत, 172 गोंड परिवार 31.62 प्रतिशत, 79 कमार परिवार, 14.52 प्रतिशत, 34 मुंडा परिवार 6.25 प्रतिशत, 27 पहाड़ी कोरवा परिवार 4.09 प्रतिशत, 3 कंवर परिवार 0.55 प्रतिशत, 2 मुंजिया परिवार 0.37 प्रतिशत तथा 1 हल्बा परिवार 0.18 प्रतिशत शामिल है।

3.1 जनसंख्या :– जनसंख्या वितरण, परिवार का आकार, उम्र लिंग अनुपात परिवार में बच्चों व वृद्धों की संख्या परिवार की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते है। सर्वेक्षित परिवारों की जनसंख्या उम्र–लिंग अनुपात निम्नानुसार है :–

सारणी –3.3

उम्र–लिंग अनुसार जनसंख्या

क्रमांक	जिला/विकासखण्ड	जनसंख्या			प्रति परिवार व्यक्ति
		पुरूष	महिला	कुल	
1.	सरगुजा				
(अ)	अम्बिकापुर	243	207	450	5.05
(ब)	बतौली	176	160	336	5.09
	योग सरगुजा	419	367	786	5.07
2.	जशपुर				
(अ)	बगीचा	241	225	466	6.05
(ब)	कुनकुरी	149	161	310	5.34
	योग जशपुर	390	386	776	5.74
3.	कांकेर				
(अ)	नरहरपुर	149	132	281	4.53
(ब)	चारामा	141	119	260	5.00
	योग कांकेर	290	251	541	4.74
4.	रायपुर				
(अ)	गरियाबंद	131	124	255	3.80
(ब)	छुरा	150	157	307	4.20
	योग रायपुर	281	281	562	4.01
	महायोग	1380	1285	2665	4.89

प्रदर्शित तालिका में प्रतिपरिवार औसत जन संख्या सबसे अधिक जशपुर जिले में 5.74 व्यक्ति प्रतिपरिवार हैं। इसके बाद क्रमशः सरगुजा 5.07, कांकेर 4.75 तथा रायपुर जिले में 4.01 व्यक्ति प्रति परिवार हैं।

सर्वेक्षित परिवारों की प्रति परिवार औसत जनसंख्या 4.89 व्यक्ति हैं।

Scanned with CamScanner

समाज की आर्थिक स्थिति व ऋणग्रस्तता या बचत की स्थिति उस समाज के कार्यशील सदस्यों पर निर्भर करती है। सर्वेक्षित परिवारों में कार्यशीलता निम्नानुसार पाई गई।

सारणी – 3.4

कार्याशील एवं अकार्यशील जनसंख्या

क्रमांक	जिला	कार्यशील			अकार्यशील		
		पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
1.	सरगुजा	185 (44.15)	181 (49.32)	366 (46.56)	234 (55.85)	186 (50.68)	420 (53.44)
2.	जशपुर	225 (57.69)	203 (52.59)	428 (55.15)	165 (42.31)	183 (47.41)	348 (44.85)
3.	कांकेर	194 (66.90)	174 (69.32)	368 (68.02)	96 (33.10)	77 (30.68)	173 (31.98)
4.	रायपुर	169 (60.14)	178 (63.35)	347 (61.74)	112 (39.86)	103 (36.65)	215 (38.26)
	योग	773 (56.01)	736 (57.28)	1509 (56.62)	607 (43.99)	549 (42.72)	1156 (43.38)

टीप :– कुल पुरूष, महिला तथा कुल जनसंख्या से प्रतिशत कोष्टक में अंकित है।

जिलावार सर्वेक्षित परिवारों की कुल जनसंख्या में से 43.38 प्रतिशत कार्यशील तथा 56.62 प्रतिशत अकार्यशील जनसंख्या है। पुरूष एवं महिला कार्यशील जनसंख्या में मात्र 1.27 प्रतिशत का अन्तर है। इससे स्पष्ट है कि जनजाति अर्थ व्यवस्था में महिलाओं की सह भागिता अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

पुरुषों में कार्यशीलता कांकेर जिलें में (68.02 प्रतिशत) तथा रायपुर 61.74 प्रतिशत जिले में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात अधिक है। जशपुर जिले में 55.15 प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील है, जबकि सरगुजा में न्यूनतम 46.56 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या पायी गई।

महिला कार्यशील जनसंख्या अर्न्तगत् कांकेर जिले में 69.32 प्रतिशत् रायपुर 63.35 प्रतिशत् जशपुर 52.59 प्रतिशत तथा सरगुजा जिले में 49.32 प्रतिशत महिला कार्यशील जनसंख्या है।

Scanned with CamScanner

3.2 आजीविका :– आजीविका के स्त्रोत परिवार के आय बचत या ऋण की स्थति को प्रभावित करती है। सर्वेक्षित परिवारों का व्यावसायिक विवरण निम्नानुसार है।

सारणी – 3.5

कार्यशील जनसंख्या का व्यावसायिक वर्गीकरण

क्रमांक	जिला	कार्यशील व्यक्तियों की संख्या						
		कृषि	कृषि श्रमिक	अन्य श्रमिक	नौकरी	व्यवसाय	अन्य (मद्यपान)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सरगुजा	226 (61.75)	104 (28.42)	20 (5.46)	3 (0.82)	–	13 (3.55)	366 (100.00)
2.	जशपुर	370 (86.45)	24 (5.61)	6 (1.40)	9 (2.10)	5 (1.17)	14 (3.27)	428 (100.00)
3.	कांकेर	326 (88.59)	27 (7.34)	2 (0.54)	2 (0.54)	– –	11 (2.99)	368 (100.00)
4.	रायपुर	169 (48.71)	142 (40.92)	16 (4.61)	5 (1.44)	–	15 (4.32)	347 (100.00)
	योग	1091 (72.30)	297 (19.68)	44 (2.92)	19 (1.26)	5 (0.33)	53 (3.51)	1509 (100.00)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों के 1509 कार्यशील व्यक्तियों में 72.30 प्रतिशत कृषि, 19.68 प्रतिशत व्यक्ति कृषि श्रमिक, 2.92 प्रतिशत अन्य श्रमिक, 1.26 प्रतिशत व्यक्ति नौकरी, 0.33 प्रतिशत व्यक्ति व्यवसाय तथा शेष 3.51 प्रतिशत कार्यशील व्यक्ति अन्य व्यवसायों में कार्यरत है।

सर्वाधिक 88.59 प्रतिशत व्यक्ति कांकेर जिले में कृषि कार्य में संलग्न है।

रायपुर जिला में कृषकों की संख्या न्यूनतम 48.71 प्रतिशत है। इस स्थिति का मुख्य कारण रायपुर जिले के सर्वेक्षित परिवारों में कमार विशेष पिछड़ी जनजाति का ग्राम में निवासरत जनजाति गोड़, कंवर, भुंजिया के खेतो में कृषि श्रमिक के रुप में कार्य करना है।

Scanned with CamScanner

3.3 आवास प्रकार

किसी समुदाय विशेष में उनके आवास प्रकार उस परिवार की आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करते है। सर्वेक्षित अनुसूचित जनजाति परिवारों की आवासीय स्थिति निम्नांकित है।

सारणी –3.6
आवास प्रकार

क्र.	आवास का प्रकार	परिवारों की संख्या					
		सरगुजा	जशपुर	कांकेर	रायपुर	कुल	प्रतिशत
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	कच्चा	155	130	110	137	532	97.79
2.	अर्धपक्का	–	05	02	01	08	1.47
3.	पक्का	–	–	02	02	04	0.74
	योग	155	135	114	140	544	100.00

उपरोक्त सारणी से प्रदर्शित है कि सर्वेक्षित 544 जनजाति परिवारों में से 97.79 प्रतिशत कच्चे परिवार अर्थात मिट्‌टी निर्मित दीवाले एवं छत खप्परो (कवेलू) या घास पूस से बने आवास में निवासरत है। 1.47 प्रतिशत परिवार अर्धपक्का अर्थात ईट की दीवाल एवं छत खप्परो (कवेलू) से निर्मित आवास में तथा शेष 0.74 प्रतिशत परिवाार ही पक्के आवास अर्थात सीमेंट, कांक्रीट निर्मित आवास में निवासरत है।

अध्ययन में सरगुजा जिले के सभी सर्वेक्षित परिवार के आवासगृह कच्चे प्रकार के पाये गये है।

3.4 भूमि धारिता :–

भूमि धारिता परिवार की आर्थिक स्थिति एवं ऋण ग्रस्तता को प्रभावित करती है। सर्वेक्षित अनुसूचित जनजाति परिवारों में से 23.53 प्रतिशत परिवार भूमिहीन है, शेष 76.47 प्रतिशत के पास कृषि भूमि है जो निम्ननुसार है :–

Scanned with CamScanner

सर्वेक्षित 544 परिवारों में से 76.47 प्रतिशत के पास कृषि भूमि पाई गई है। शेष 23.53 प्रतिशत भूमिहीन है।

40.25 परिवारों के पास 2.5 एकड़ से कम कृषि भूमि है। 28.13 प्रतिशत परिवार के पास 2.5 से 5 एकड़ तक कृषि भूमि है। 6.8 प्रतिशत परिवार के पास 5 से 10 एकड़ भूमि है। 0.55 परिवारों के पास 10–15 एकड़ भूमि हैं तथा 0.73 प्रतिशत परिवारों के पास 15–25 एकड़ की भूमि है।

3.5 सिंचित एवं असिंचित कृषि भूमि

सर्वेक्षित कृषक परिवारों में उपलब्ध औसत कृषि भूमि प्रति परिवार निम्नानुसार पाया गया।

सारणी – 3.8
प्रति परिवार औसत सिंचित एवं असिंचित भूमि

क्रं.	विवरण	प्रति परिवारा औसत भूमि (एकड़ में)					
		सरगुजा	जशपुर	कांकेर	रायपुर	कुल	परिवार
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्संचित	–	–	0.53	0.16	0.15	5.15
2.	टचिंचित	1.82	3.26	2.42	3.25	2.76	94.85
	कुल	1.82	3.26	2.95	3.41	2.91	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में भूमिधारक परिवारों के पास औसतन 2.91 एकड़ कृषि भूमि उपलब्ध है जिसमें से केवल 5.15 प्रतिशत परिवारों के पास प्रतिपरिवार ओसतन 0.15 एकड़ कृषि भूमि ही सिंचित हैं, वही शेष 94.85 प्रतिशत परिवारों के पास औसतन प्रतिपरिवार 2.76 एकड़ की कृषि भूमि असिंचित है जिस पर वे कृषि कार्य कर रहें है। जशपुर एवं सरगुजा जिले के सर्वेक्षित किसी परिवार की भूमि सिंचित नहीं पायी गई।

3.6 पशुधन

किसी समुदय की अर्थव्यवस्था में पशुधन का भी विशेष महत्व होता है। सर्वेक्षित परिवारें में से 383 परिवार 70.40 प्रतिशत परिवार पशुधन युक्त है। शेष 29.60 प्रतिशत पशुधन विहीन परिवार हैं। पशुधन युक्त परिवारों में पशुओं की संख्या निम्न तालिका में दर्शित है:

Scanned with CamScanner

सारणी – 3.9
पशुधन

क्रं.	पशुधन	संख्या					
		सरगुजा	जशपुर	कांकेर	रायपुर	कुल	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बैल	190	221	180	91	682	53.20
2.	गाय	26	71	69	49	215	16.77
3.	भैंस–भैंसा	65	22	20	15	122	9.51
4.	बकरा–बकरी	63	96	53	30	242	18.88
5.	सुअर	–	15	06	–	21	1.64
	योग	344	425	328	185	1282	100.00

सर्वेक्षित परिवारों में बैल की संख्या अन्य पशुओं की तुलना में अधिक है। तत्पश्चात् बकरी–बकरा एवं गायों की संख्या पाई गई।

सर्वाधिक पशुधन संख्या जशपुर जिले के जनजातियों में तथा न्यूनतम संख्या रायपुर जिले के सर्वेक्षित परिवारों में पायी गई।

3.7 पक्षीधन

सर्वेक्षित परिवारों में से 30.69 परिवार मुर्गा–मुर्गियों का पालन कर रहे है। अन्य पक्षीधन नहीं पाया गया। सर्वेक्षित परिवारों में जिलावार मुर्गा–मुर्गियों की संख्या निम्नानुसर पायी गई–

सारणी – 3.10
मुर्गा–मुर्गियों की संख्या

क्रं.	थ्जला	कुल सर्वेक्षित परिवार	पक्षीयुक्त परिवार की संख्या	प्रतिशत	मुर्गा–मुर्गियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	सरगुजा	155	14	8.38	72	9.70
2.	जशपुर	135	96	57.49	415	55.93
3.	कांकेर	114	55	32.93	21.8	29.38
4.	रायपुर	140	2	1.20	37	4.99
	योग	544	167	100.00	742	100.00

Scanned with CamScanner

3.8 साक्षरता

सर्वेक्षित अनुसूचित जनजाति परिवारों में 60.27 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर है। इसमें पुरुष साक्षरता 67.56 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 52.59 प्रतिशत है। जिला वार साक्षरता की स्थिति निम्नानुसार है :–

सारणी – 3.11
जिलावार साक्षर व्यक्ति एवं साक्षरता दर

क्रं.	विवरण	साक्षर व्यक्तियों की संख्या		
		पुरूष	महिला	कुल
1.	2.	3.	4.	5.
1.	सरगुजा साक्षरता दर	226 62.78	145 44.02	371 53.85
2.	जशपुर साक्षरता दर	285 79.83	242 63.34	527 74.64
3.	कांकेर साक्षरता दर	190 70.89	128 53.33	318 62.60
4.	रायपुर साक्षरता दर	124 52.54	94 39.16	218 45.80
	योग साक्षरता दर	825 67.56	609 52.59	1434 60.27

सर्वेक्षित जनजाति परिवारों में 60.27 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हैं। इसमें पुरूष एवं महिला साक्षरता दर क्रमशः 67.56 प्रतिशत तथा 52.59 प्रतिशत है।

सर्वाधिक साक्षरता दर 74.64 प्रतिशत जशपुर जिले में । इसके पश्चात क्रमशः कांकेर, 62.60 प्रतिशत, सरगुजा 53.85 प्रतिशत तथा रायपुर 45.80 प्रतिशत है।

3.9 शिक्षा का स्तर

साक्षर व्यक्तियों का शैक्षणिक स्तर निम्नानुसार पाया गया :–

Scanned with CamScanner

सारणी – 3.12
शिक्षा का स्तर

क्रं.	शैक्षणिक स्तर	पुरूष		महिला		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	बालवाड़ी	7	0.85	4	0.66	11	0.77
2.	प्राथमिक शाला	304	36.85	262	43.02	566	39.47
3.	माध्यमिक	220	26.67	174	28.57	394	27.48
4.	हाईस्कूल	158	19.15	99	16.26	257	17.92
5.	हायर सेकेण्डरी	96	11.64	49	8.05	145	10.11
6.	महाविद्यालयीन	38	4.60	20	3.28	58	4.04
7.	अन्य	02	0.24	01	0.16	03	0.21
	योग	825	100.00	609	100.00	1434	100.00
	प्रतिशत	57.53	–	42.47	–	100.00	–

सर्वेक्षित परिवारों में 57.53 प्रतिशत, पुरूष तथा 42.47 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर है। कुल साक्षर व्यक्तियों में से 0.77 प्रतिशत व्यक्ति बालबाड़ी स्तर तक तथा 39.47 प्रतिशत व्यक्ति प्राथामिक शाला स्तर तक शिक्षित हैं। 27.48 प्रतिशत व्यक्ति माध्यमिक शाला, 17.92 प्रतिशत व्यक्ति हाईस्कूल 10.11 प्रतिशत व्यक्ति हायर सेकेण्डरी, 54.04 प्रतिशत व्यक्ति महाविद्यालयीन शिक्षा तथा 0.21 प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा अन्य स्तर तक की शिक्षाप्राप्त की गई हैं।

3.10 आय :–

जनजातियों की आय का प्रमुख स्रोत कृषि, वानिकी तथा मजदूरी है। भूमि के प्रकार, उत्पादकता तथा सिंचाई सुविधाओं पर आय की मात्रा निर्भर है। वनोजन संग्रहण भी जनजातियों की आय का एक अतिरिक्त पारम्परिक स्रोत है, जो कि वन विहीन एवं सामान्य क्षेत्र के लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। आय की पर्याप्तता या कमी आर्थिक जीवन को प्रभावित करती है। यदि व्यय से आय अधिक हो तो बचत आय का सरलता से आर्थिक उन्नति के लिए निवेश किया जा सकता है तथा आय व्यय से कम हो तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लिया जाता है। विवेक पूर्ण ऋण आय व्यय को सन्तुलित कर सकता है।

Scanned with CamScanner

कुछ जनजाति परिवारों में आय से व्यय आंशिक रूप से कम होता है किन्तु यह बचत आर्थिक रूप से बहुत उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि ऐसे परिवारों की वस्तुतः आय ही कम होती है तथा जनजातियों की न्यून आवश्यकताओं के कारण सम्यक व्यय में कमी होती है। अच्छी आय तथा अच्छी सम्यक बचत ही निवेश के लिये उपयोगी हो सकती है।

सर्वेक्षित परिवारों का औसत वार्षिक आय निम्न सारणी में प्रदर्शित है:–

सारणी – 3.13

प्रति परिवार औसत वार्षिक आय (रूपये में)

क्रं.	स्रोत	प्रतिपरिवार औसत वार्षिक आय (रूपये में)					
		सरगुजा	जशपुर	कांकेर	रायपुर	कुल	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कृषि	3371	3329	4255	2903	3425	34.46
2.	कृषि मजदूरी	1549	1430	2389	1671	1727	17.38
3.	अन्य मजदूरी	1547	1516	220	3983	1888	19.00
4.	वानिकी	294	1229	1023	1524	995	10.01
5.	व्यवसाय	–	529	–	–	131	1.32
6.	नौकरी	918	1807	–	707	892	8.98
7.	पशुधन	458	655	544	424	516	5.19
8.	कुशल कारीगरी	665	29	407	85	304	3.06
9.	मछली पकड़ना	–	238	–	–	59	0.60
	योग	8804	10766	8840	11301	9941	100.00

सर्वेक्षित परिवारों की कृषि से औसत आय 34.46 प्रतिशत, अन्य मजदूरी से 19.00 प्रतिशत, कृषि मजदरी से 17.38 प्रतिशत, नौकरी से 8.98 प्रतिशत, वानिकी से 10.01 प्रतिशत, पशुधन से 5.19 प्रतिशत कुशल कारीगरी से 3.06 प्रतिशत, व्यावसाय से 1.32 प्रतिशत तथा मछली पकडने से 0.60 प्रतिशत प्राप्त करता है।

कृषि कार्य से सबसे अधिक औसत वार्षिक आय कांकेर जिले से 4255 रूपये प्रति परिवार एवं सबसे कम आय रायपुर जिले से 2903 रूपये प्रति परिवार प्राप्त हुऐ कृषि मजदूरी से सबसे अधिक औसत वार्षिक आय कांकेर जिले से 2389 रूपये प्रतिपरिवार एवं सबसे कम जशपुर जिले से 1430 रूपये प्रति परिवार प्राप्त हुऐ। अन्य मजदूरी से सबसे अधिक औसत वार्षिक आय रायपुर जिले से 3983 रूपये प्रति परिवार तथा सबसे कम कांकेर जिले से 220 रूपये प्रति परिवार प्राप्त हुए। वानिकी से सबसे अधिक औसत वार्षिक आय रायपुर जिले से 1524 रूपये तथा सबसे कम सरगुजा जिले से 294 रूपये प्रति परिवार प्राप्त हुए। व्यवसाय से औसत वार्षिक आय मात्र जशपुर

Scanned with CamScanner

जिले से 529 रूपये प्रति परिवार प्राप्त हुए। नौकरी से सबसे अधिक औसत वार्षिक आय जशपुर जिले से 1807 रूपये प्रति परिवार तथा कांकेर जिले से कोई आय प्राप्त नहीं हुए। कुशल कारीगरी से सबसे अधिक औसत आय सरगुजा जिले से 665 रूपये प्रति परिवार तथा सबसे कम जशपुर जिले से औसत आय 29 रूपये प्रति परिवार प्राप्त हुए। मछली पकडने का कार्य एक मात्र जशपुर जिले के लोग करते है जिनकी मछली पकड़ने से औसत वार्षिक आय 238 रूपये प्रति परिवार है।

3.11 प्रति परिवार वार्षिक व्यय

सर्वेक्षित अनुसूचित जनजाति परिवारों में प्रति परिवार वार्षिक व्यय के मदवार विवरण निम्नानुसार है :–

सारणी–3.14
मदवार प्रति परिवार औसत वार्षिक व्यय

क्रं.	व्यय के मद	प्रतिपरिवार व्यय (रूपये में)					
		सरगुजा	जशपुर	कांकेर	रायपुर	कुल	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भोजन	6559	6549	6804	6302	6544	65.01
2.	वस्त्र	657	914	796	637	677	6.82
3.	आवास	447	291	499	309	388	3.91
4.	जन्म, विवाह, मृत्यु संस्कार	1271	301	640	490	679	6.84
5.	धार्मिक कार्य	264	295	225	217	247	2.44
6.	चिकित्सा	301	306	420	282	326	3.22
7.	शिक्षा	276	289	925	266	437	4.41
8.	मद्यपान	409	359	385	269	332	2.94
9.	आभूषण बर्तन	344	371	414	303	355	3.58
10.	अन्य	94	70	107	59	82	0.83
	कुल	10627	9347	11182	9139	10072	100.00

Scanned with CamScanner

तालिका में अधिकांशतः औसत वार्षिक व्यय भोजन में 65.01 प्रतिशत खर्च किया जाता है। इसके बाद क्रमशः वस्त्र में 6.82 प्रतिशत, सामाजिक कार्य–जन्म, मृत्यु, विवाह में 6.84 प्रतिशत, आभूषण बर्तन में 3.58 प्रतिशत, शिक्षा में 4.41 प्रतिशत, चिकित्सा में 3.22 प्रतिशत, आवास में 3.91 प्रतिशत, धार्मिक कार्य में 2.44 प्रतिशत, मद्यपान में 2.94 प्रतिशत तथा अन्य में 0.83 प्रतिशत व्यय किया जाता है।

प्रस्तुत तालिका में भोजन में सबसे अधिक वार्षिक औसत व्यय जशपुर जिले में 6804 रूपये प्रति परिवार है। वस्त्र क्रय में सबसे अधिक वार्षिक औसत व्यय कांकेर जिले में 914 रूपये प्रति परिवार है। आवास में सबसे अधिक व्यय जशपुर जिले में 499 रूपये प्रति परिवार है। जन्म, विवाह एवं मृत्यु संस्कार में सबसे अधिक औसत वार्षिक व्यय रायपुर जिले में 1271 रूपये प्रति परिवार है। धार्मिक कार्य में सबसे अधिक व्यय कांकेर जिले में 295 प्रति परिवार है। चिकित्सा में सबसे अधिक वार्षिक औसत व्यय जशपुर जिले में 420 रूपये प्रति परिवार एवं सबसे कम सरगुजा जिले में 282 रूपये प्रति परिवार है। शिक्षा में सबसे अधिक औसत वार्षिक व्यय जशपुर जिले में 925 रूपये है। मद्यपान में सबसे अधिक औसत वार्षिक व्यय रायपुर जिले में 409 रूपये प्रति परिवार हैं। आभूषण बर्तन में सबसे अधिक व्यय जशपुर जिले में 414 रूपये प्रति परिवार है। अन्य वार्षिक औसत व्यय सबसे अधिक जशपुर जिले में 107 रूपये प्रति परिवार है।

सर्वेक्षित जनजाति परिवारों की औसत प्रति परिवार आय एवं व्यय का जिलावार विवरण निम्नानुसार है :

सारणी – 3.15
प्रति परिवार औसत वार्षिक आय एवं व्यय

क्रमाक	जिला	आय (रूपये में)	व्यय (रूप्ये में)
1.	सरगुजा	8804	9139
2.	जशपुर	10766	11182
3.	कांकेर	8840	9347
4.	रायपुर	11301	10627
	कुल औसत	9941	10072

सर्वेक्षित जनजाति परिवारों की औसत वार्षिक आय की तुलना में औसत वार्षित व्यय आंशिक रूप से अधिक है। व्यय आधिक्य के कारण भी जनजाति परिवारों को ऋण की आवश्यकता होती है। सभी परिवारों तथा क्षेत्रों में आय की तुलना में एक समान व्यय आधिक्य नहीं होता है।

Scanned with CamScanner

अध्याय – 4

ऋण का प्रयोजन

जनजातियां अपनी सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विभिन्न प्रयोजनों के लिये उत्पादक या अनुत्पादक ऋण लेते हैं। इस अध्याय में भिन्न जनजातीय क्षेत्रों, जनजातियों में सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुसार ऋण लेने के प्रयोजनों का विस्तार से अध्ययन प्रस्तुत किया गया हैं अध्याय 3 में सर्वेक्षित जनजाति परिवारों की सामाजिक अर्थिक स्थिति वर्णित है।

4.1 ऋण विहीन तथा ऋण गृहीता परिवार

सर्वेक्षित जनजाति परिवारों में ऋण विहीन तथा ऋणग्रहीता परिवारें की स्थिति निम्न तालिका में प्रदर्शित है :–

सारणी–4.1

सर्वेक्षित परिवारों में ऋण विहीन तथा ऋणगृहीता परिवारों की संख्या

क्रं.	जिला	विकासखंड	परिवारों की संख्या				
			ऋणगृहीता	कुल से प्रतिशत	ऋण विहीन	कुल से प्रतिशत	कुल
1.	सरगुजा	1 अम्बिकापुर	33	37.08	56	62.92	89
		2 बतौली	26	39.39	40	60.61	66
		उप–योग (1)	59	38.06	96	61.94	155
2.	जशपुर	1 बगीचा	21	27.27	56	72.73	77
		2 कुनकुरी	16	27.59	42	71.41	58
		उप–योग (2)	37	27.41	98	72.59	135
3.	कांकेर	1 चारामा	26	41.94	26	58.06	62
		2 नरहरपुर	29	55.77	23	44.23	52
		उप–योग (3)	55	48.25	49	51.75	114
4.	रायपुर	1 गरियाबंद	18	26.87	49	73.13	67
		2 छुरा	28	38.36	45	61.64	73
		उप–योग (4)	46	32.86	94	67.14	140
		महायोग	197	36.21	347	63.79	544

Scanned with CamScanner

सर्वेक्षित 544 जनजाति परिवारों में से 36.21 प्रतिशत ऋण गृहीता तथा 63.79 प्रतिशत सर्वेक्षण अवधि में ऋण विहीन पाये गये।

ऋण गृहीता परिवारों का प्रतिशत सर्वाधिक कांकेर जिला में 48.25 प्रतिशत, इसके पश्चात् क्रमशः सरगुजा जिला में 38.06 प्रतिशत, रायपुर जिला में 32.86 प्रतिशत तथा न्यूनतम ऋण गृहीता परिवार जशपुर जिला में 27.41 प्रतिशत है।

ऋण गृहीता परिवारों के जिलावार आकड़ों में भिन्नता तो है ही परन्तु इसके साथ–साथ विकासखण्ड स्तर पर भी यह भिन्नता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। कांकेर जिले के विकासखंड नरहरपुर में सर्वाधिक 55.77 प्रतिशत ऋण गृहीता परिवार है। रायपुर जिले के विकासखण्ड गरियाबान्द में 26.87 प्रतिशत तथा जशपुर जिले के विकासखण्ड बगीचा में 27.27 प्रतिशत ऋण गृहीता परिवार है।

4.2 ऋण का प्रयोजन :–

ऋणगृहीता परिवारों का ऋण के प्रयोजन अनुसार वर्गीकरण निम्नानुसार है –

सारणी – 4.2
ऋण का प्रयोजन ऋण गृहीता परिवार

क्रं.	ऋण का प्रयोजन	ऋण ग्रहीता परिवारों की संख्या					
		सरगुजा	जशपुर	कांकेर	रायपुर	कुल	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कृषि कार्य	45	3	53	29	130	65.33
2.	बोर खनन	0	0	2	2	4	2.01
3.	उपभोग ऋण	14	16	0	5	35	17.59
4.	समाजिक कार्य	0	5	0	4	9	4.52
5.	शिक्षा	0	7	0	0	7	3.52
6.	चिकित्सा	0	5	0	1	6	3.01
7.	गृह निर्माण	0	1	0	1	2	1.01
8.	अन्य	0	1	0	5	6	3.01
	कुल	59	38	55	47	199	100.00

67.34 प्रतिशत ऋण उत्पादक कार्यों के लिये तथा 32.66 प्रतिशत अनुत्पादक कार्यों के लिये ऋण लिये गये हैं।

Scanned with CamScanner

रायपुर जिले में 61.70 प्रतिशत ऋण गृहीताओं ने कृषि कार्य के लिये, 10.63 प्रतिशत उपभोग हेतु 8.5 प्रतिशत सामाजिक कार्य हेतु 4.25 प्रतिशत सिंचाई कार्य के लिये शेष ऋण गृहीताओं ने अन्य प्रयोजनों से ऋण प्राप्त किया है।

कांकेर जिले में केवल कृषि एवं सिंचाई कार्य के लिये ही ऋण लिये गये हैं।

जशपुर जिले में कृषि कार्य के लिये अन्य जिलों की तुलना बहुत ही कम 7.89 प्रतिशत ऋण लिया गया हैं अन्य जिलों की तुलना में जशपुर जिले में उपभोग ऋण सर्वाधिक 42.10 प्रतिशत हैं। शिक्षा के लिये मात्र जशपुर जिले के ऋणगृहीताओं ने 78.42 प्रतिशत ऋण लिया है।

सरगुजा जिले में 76.27 प्रतिशत ऋण गृहीताओं ने कृषि कार्य के लिये तथा 23.73 प्रतिशत ऋण गृहीताओं ने उपभोग ऋण लिया है। जिले में अन्य प्रयोजनों के लिये ऋण नहीं लिया गया है।

65.33 प्रतिशत ऋण ग्रहीताओं ने कृषि कार्य, 2.01 प्रतिशत सिंचाई कार्य के लिये, 17.59 प्रतिशत उपभोग हेतु, 3.52 प्रतिशत सामाजिक कार्य, 3.52 प्रतिशत शिक्षा के लिये, 3.01 प्रतिशत चिकित्सा हेतु, 1.01 प्रतिशत गृह निर्माण के लिये तथा 3.01 प्रतिशत ने अन्य प्रयोजनों के लिये ऋण प्राप्त किया है।

जनजातिवार ऋण का प्रयोजन

ऋणगृहीता परिवारों में जनजातिवार ऋण के प्रयोजन अनुसार वर्गीकरण निम्न सारणी में प्रदर्शित हैं :–

सारणी – 4.2.1
जनजातिवार ऋण का प्रयोजन

क्रं.	ऋण का प्रयोजन	ऋणगृहीता जनजाति परिवार						
		उरांव	गोंड	मुण्डा	कमार	पहाडी कोरवा	अन्य	योग
1.	कृषि कार्य	48	52	0	20	8	2	130
2.	उपभोग ऋण	16	10	5	4	0	0	35
3.	सामाजिक कार्य	4	0	2	2	0	1	9
4.	शिक्षा	7	0	0	0	0	0	7
5.	चिकित्सा	5	0	0	1	0	0	6
6.	सिंचाई	0	4	0	0	0	0	4
7.	गृह निर्माण	1	0	0	1	0	0	2
8.	अन्य	1	0	1	4	0	0	6
	योग	82	66	8	32	8	3	199
	प्रतिशत	41.21	33.16	4.02	16.08	4.02	1.51	100.00

Scanned with CamScanner

उरांव जनजाति के 58.54 प्रतिशत ऋणगृहीताओं ने कृषि कार्यो के लिये, 19.51 प्रतिशत ने उपभोग ऋण, 4.88 प्रतिशत सामाजिक कार्य, 8.53 प्रतिशत शिक्षा के लिये, 6.09 प्रतिशत चिकित्सा के लिये तथा शेष 2.44 प्रतिशत ने अन्य प्रयोजनों के लिये ऋण प्राप्त किया है।

गोंड जनजाति ने 78.79 प्रतिशत ऋणगृहिता कृषि कार्य के लिये, 6.06 प्रतिशत सिंचाई कार्य के लिये, 15.15 प्रतिशत उपभोग हेतु तथा 6.06 प्रतिशत ने सिंचाई कार्य के लिये ऋण प्राप्त किया है।

सर्वेक्षित ऋण गृहीता जनजाति परिवारों में से केवल गोंड जनजाति के लोगों ने सिंचाई कार्य के लिये ऋण लिया है।

विशेष पिछड़ी जनजाति कमार के 62.50 प्रतिशत ने कृषि कार्यो के लिये, 12.51 प्रतिशत ने उपभोग ऋण, 3.12 प्रतिशत ने चिकित्सा हेतु तथा अन्य 3.12 प्रतिशत ने गृहनिर्माण हेतु तथा शेष 12.50 प्रतिशत परिवारों ने अन्य प्रयोजनों हेतु ऋण प्राप्त किया है।

मुण्डा जनजाति के ऋण गृहीता परिवारों ने कृषि के लिये ऋण नहीं लिया है। 62.50 प्रतिशत परिवारों ने उपभोग ऋण, 23.00 प्रतिशत सामाजिक कार्य तथा 12.50 प्रतिशत परिवारों ने अन्य प्रयोजन हेतु ऋण लिया है। पहाड़ी कोरवा ऋण गृहीता परिवारों ने कृषि कार्यो के लिये ऋण लिया है। 3 अन्य जनजाति ऋणगृहीता परिवारों ने कृषि के लिये 67.67 प्रतिशत तथा सामाजिक कार्य के लिये 33.33 प्रतिशत ऋण लिया है।

सभी सर्वेक्षित परिवारों /जिलों में मुख्य रूप से कृषि के लिये ऋण लिये गये है।

सारणी – 4.2.2
आय वर्ग अनुसार ऋण का प्रयोजन

क्रं.	प्रयोजन	ऋण गृहिता परिवारों की संख्या/आय रुपये में					
		5000 से कम	5000–10000	10000–30000	30000–50000	50000 के अधिक	कुल
1.	कृषि	3	21	98	4	2	128
2.	उपभोग ऋण	2	21	12	0	0	35
3.	समाजिक कार्य	0	4	5	0	0	9
4.	शिक्षा	0	2	5	0	0	7
5.	चिकित्सा	0	2	3	1	0	6
6.	बोर खनन	0	0	3	1	0	4
7.	गृह निर्माण	0	1	1	0	0	2
8.	अन्य	1	3	2	0	0	6
	कुल	6	54	129	6	2	197
	प्रतिशत	3.05	27.41	65.48	3.05	1.01	100.00

197 ऋणग्रहीता परिवारों में से सर्वाधिक 129 परिवार (65.4 प्रतिशत) रु. 10000–30000 आय वर्ग के तथा न्यूनतम 2 परिवार (1.01 प्रतिशत) रु. 50000 से अधिक आय वर्ग के है। रुपये 5000 से कम आय वर्ग में 3.05 प्रतिशत, 5000–10000 आयवर्ग में 27.41 प्रतिशत तथा 30000–50000 आय वर्ग में 3.05 प्रतिशत परिवार है।

Scanned with CamScanner

न्यूनतम आय वर्ग रू. 5000 से कम के 6 ऋण गृहीताओं में से 50.00 प्रतिशत ने कृषि कार्य के लिये तथा 33.33 प्रतिशत ऋण गृहीता ने उपभोग हेतु तथा 16.66 प्रतिशत ऋण गृहीता ने अन्य प्रयोजन के लिये ऋण लिय है।

रूपये 5000 से 10000 आयवर्ग के 54 ऋणगृहीता में से 38.88 प्रतिशत ऋणगृहीता ने कृषि कार्यों के लिये तथा इतने ही ऋण गृहीताओं ने उपभोग ऋण तथा 7.41 प्रतिशत ने सामाजिक कार्यों के लिये, 3.70 प्रतिशत शिक्षा, 3.70 प्रतिशत ने चिकित्सा, 1.85 प्रतिशत गृहनिर्माण तथा 5.56 प्रतिशत ने अन्य प्रयोजनों हेतु ऋण लिया है।

रूपये 10000 से 30000 आय वर्ग में कुल 129 ऋणगृहीता परिवार हैं, इनमें से 75.97 प्रतिशत ने कृषि कार्यों के लिये, 9.30 प्रतिशत उपभोग ऋण. 3.87 प्रतिशत सामाजिक कार्य, अन्य 3.87 प्रतिशत शिक्षा, 2.32 प्रतिशत चिकित्सा, 2.32 प्रतिशत सिंचाई कार्य, 0.77 प्रतिशत गृहनिर्माण तथा 1.55 प्रतिशत ने अन्य प्रयोजनों के लिये ऋण प्राप्त किया है।

30000 से 50000 आयवर्ग में कुल 4 ऋणगृहीता परिवार है। इसमें से 50.00 प्रतिशत ने कृषि कार्य हेतु तथा एक एक परिवार ने क्रमशः चिकित्सा एवं सिंचाई कार्य के लिये ऋण प्राप्त किया है।

50000 से अधिक आयवर्ग के 2 परिवार है। दोनों परिवारों ने कृषि कार्यो के लिये ऋण लिया है।

Scanned with CamScanner

अध्याय – 5

अनुसूचित जनजातियों के लिये ऋण उपलब्धता के स्रोत

अनुसूचित जनजातियां अपने ग्राम या ग्राम के समीप उपलब्ध वित्तीय स्रोतों अर्थात् व्यक्तियों अथवा वित्तीय संस्थाओं से अपनी ऋण आवशकताओं की पूर्ति करते हैं।

5.1 ऋणविहीन तथा ऋण गृहीता परिवार :–

सर्वेक्षित 4 जिलों के 544 अनुसूचित जनजाति परिवारों में से 347 परिवार (63.79 प्रतिशत) ऋणविहीन तथा 197 परिवार (36.21 प्रतिशत) ऋण गृहीता परिवार पाये गये।

ऋणविहीन तथा ऋण गृहीता परिवारों का विवरण निम्नानुसार है :–

सारणी –5.1

ऋणविहीन एवं ऋणगृहीता परिवारों की संख्या

क्रं.	जिला	ऋण विहीन परिवार		ऋण गृहीता परिवार		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	सरगुजा	96	61.94	59	38.06	155	28.49
2.	जशपुर	98	72.59	37	27.41	135	24.82
3.	कांकेर	59	51.75	55	48.25	114	20.96
4.	रायपुर	94	67.14	46	32.86	140	25.73
	योग	347	100.00	197	100.00	544	100.00

तलिका में स्पष्ट है कि सर्वेक्षित 544 परिवारों में रायपुर जिले के 25.73 प्रतिशत परिवार, कांकेर जिले के 20.96 प्रतिशत, जशपुर जिले के 24.82 प्रतिशत तथा सरगुजा जिले के 28.49 प्रतिशत परिवार शामिल हैं।

तलिका से यह भी प्रदर्शित है कि सरगुजा जिले में सर्वाधिक 29.95 प्रतिशत परिवार, कांकेर जिले में 27.92 प्रतिशत परिवार, रायपुर जिले में 23.35 प्रतिशत तथा जशपुर जिलें में 18.78 प्रतिशत परिवार ऋण लिये हुये है।

उपर्युक्त सारणी में सर्वेक्षित चार जिलों के 544 परिवार में 63.79 प्रतिशत ऋण विहीन परिवार तथा 36.21 प्रतिशत ऋण गृहीता परिवार है।

Scanned with CamScanner

5.2 आय वर्ग अनुसार परिवारों का वर्गीकरण :–

आयवर्ग अनुसार सर्वेक्षित परिवारों की संख्या निम्नानुसार है :–

सारणी – 5.2

ऋण विहीन तथा गृहीता परिवारों का वार्षिक आय के आधार पर वर्गीकरण

क्रं.	आयवर्ग	सर्वेक्षित परिवारों की संख्या			
		ऋण विहीन परिवार संख्या	प्रतिशत	ऋण गृहीता परिवार संख्या	प्रतिशत
1.	5000 से कम	79	22.7	6	3.05
2.	5000–10000	134	38.62	54	27.41
3.	10000–30000	122	35.16	129	65.48
4.	30000.50000	6	1.73	6	3.05
5.	50000 से अधिक	6	1.73	2	1.01
	योग	347	100.00	197	100.00

उपर्युक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि 5000 से कम आय वर्ग में ऋण विहीन परिवार 22.7 प्रतिशत तथा ऋणगृहीता परिवार 3.05 प्रतिशत हैं। रूपये 500 से 1000 आय वर्ग में 38.62 प्रतिशत ऋण विहीन तथा 27.41 प्रतिशत परिवार ऋण गृहीता परिवार है। रूपये 10000 से 30000 रूपये आय वर्ग में 35.16 प्रतिशत ऋण विहीन तथा 65.48 प्रतिशत परिवार ऋण गृहीता हैं। रूपये 30000 से 50000 आय वर्ग के 1.73 प्रतिशत ऋण विहीन तथा 3.05 प्रतिशत ऋण ग्रहीता परिवार है। रूपये 50000 से अधिक आय वर्ग में 1.73 प्रतिशत परिवार ऋण विहीन तथा 1.01 प्रतिशत ऋण गृहीता परिवार है।

उपर्युक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि कम आय वर्ग रू. 10000 से कम में ऋण विहीन परिवारों की संख्या अधिक तथा ऋण गृहीता परिवारों की संख्या कम है।

रूपये 10000 से अधिक आय वर्ग में ऋण विहीन परिवारों का प्रतिशत कम तथा ऋण गृहीता परिवारों का प्रतिशत अधिक है।

सारणी से यह स्पष्ट होता है कि अत्यन्त निर्धन व्यक्ति ऋण प्राप्त करने उत्सुक नहीं होते हैं तथा उनमें ऋण प्राप्त करने आवश्यक साख क्षमता नहीं होती है।

Scanned with CamScanner

सरणी – 5.2.1

ऋण के स्त्रोत अनुसार जनजाति परिवारों की संख्या

क्रं.	जनजाति	ऋण के स्त्रोत अनुसार जनजाति परिवारों की संख्या						
		सरकारी समिति	बैंक	साहूकार	रिश्तेदार	अन्य	कुल	प्रतिशत
1.	उरांव	41	13	9	10	19	92	43.60
2.	गोंड	45	15	7	2	–	69	32.70
3.	कमार	14	7	6	3	1	31	14.69
4.	मुंडा	–	2	5	–	1	8	3.79
5.	पहाड़ी कोरवा	8	–	–	–	–	8	3.79
6.	कंवर	2	–	–	–	–	2	0.95
7.	हल्बा	–	–	1	–	–	1	0.48
	योग	110	37	28	15	21	211	100.00

सर्वेक्षित 197 ऋण गृहीता परिवारों में से 211 प्रयोजनों के लिये ऋण लिया है।

उपर्युक्त सारणी में ऋण गृहीता परिवारों की संख्या सर्वाधिक उरांव जनजाति की 43.60 प्रतिशत है। इसके बाद क्रमशः गोंड 32.70 प्रतिशत, कमार 14.69 प्रतिशत, मुंडा 3.79 प्रतिशत, पहाड़ी कोरवा 3.79 प्रतिशत कंवर 0.95 प्रतिशत, हल्बा 0.48 प्रतिशत हैं।

सर्वेक्षित अनुसूचित जनजाति परिवारों के ऋण स्रोतों का विवरण निम्न सारणी में प्रदर्शित है:

सारणी – 5.2.2

ऋण का प्रयोजन ऋण गृहीता परिवार

क्रं.	ऋण स्रोत	ऋण गृहीता जनजाति परिवारों का ऋण स्रोत					
		सरगुजा	जशपुर	कांकेर	रायपुर	कुल	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सहकारी समिति	51	–	40	19	110	52.13
2.	बैंक	08	08	08	13	37	17.54
3.	साहूकार	–	13	05	10	28	13.27
4.	रिश्तेदार	02	08	02	03	15	7.27
5.	अन्य	01	19	–	01	21	9.75
	योग	62	48	55	46	211	100.00

197 ऋण गृहीता परिवारों द्वारा 211 प्रयोजनों के लिये ऋण लिया गया है।

Scanned with CamScanner

52.13 प्रतिशत जनजाति परिवारों द्वारा सहकारी समितियों, 17.54 प्रतिशत ने बैंकों से, 13.27 प्रतिशत ने साहूकारों से, 7.11 प्रतिशत ने रिश्तेदारों से तथा अन्य स्रोतों, मित्रों स्वसहायता समूह आदि से ऋण प्राप्त किया है।

सारणी – 5.2.3

जिलावार ऋण स्रोत अनुसार ऋण गृहीताओं का प्रतिशत

क्रं.	स्रोत	ऋणगृहीताओं का प्रतिशत				
		सरगुजा	जशपुर	कांकेर	रायपुर	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	सहकारी समितियां	82.26	–	72.73	41.30	52.13
2.	बैंक	12.90	16.67	14.55	28.26	17.54
3.	साहूकार	–	27.08	9.09	21.74	13.27
4.	रिश्तेदार	3.23	16.67	3.63	6.52	7.11
5.	अन्य	1.61	39.58	–	2.17	9.95
	योग	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

सहकारी समितियों से सरगुजा जिले में 82.26 प्रतिशत, कांकेर जिला में 72.73 प्रतिशत तथा रायपुर जिला में 41.30 प्रतिशत ऋण गृहीताओं नें ऋण प्राप्त किया। जशपुर जिला में सर्वेक्षित परिवारों में से किसी ने सहकारी समितियों से ऋण नहीं लिया।

सभी जिलों में बैंकों से 12 से 28 प्रतिशत तक हितग्राहियों ने ऋण लिया है।

बैंक से रायपुर जिले में 28.26 प्रतिशत जशपुर जिले में 16.67 प्रतिशत, कांकेर जिले में 14.55 प्रतिशत तथा सरगुजा जिले में 12.90 प्रतिशत ऋण गृहीताओं ने ऋण प्राप्त किया।

साहूकारों से जशपुर जिला में 27.08 प्रतिशत, रायपुर में 21.74 प्रतिशत तथा कांकेर जिला में 9.03 प्रतिशत ऋण गृहीताओं ने ऋण लिया है। सरगुजा जिले के सर्वेक्षित परिवारों ने साहूकारों से ऋण नहीं लिया है।

रिश्तेदारों से जशपुर जिले में 16.67 प्रतिशत, रायपुर जिले में 6.53 प्रतिशत, कांकेर जिले में 3.63 प्रतिशत तथा सरगुजा जिले में 3.23 प्रतिशत ऋण गृहीताओं ने ऋण प्राप्त किया।

अन्य स्रोतों के अर्न्तगत स्वसहायता समूह एवं ग्राम स्तर के अन्य समूह शामिल हैं। अन्य स्रोतों से जशपुर जिले में 39.58 प्रतिशत, रायपुर जिले में 2.17 प्रतिशत तथा सरगुजा जिले में 1.61 प्रतिशत ऋण गृहीताओं ने ऋण प्राप्त किया। कांकेर जिले में सर्वेक्षित परिवारों ने अन्य स्रोतों से ऋण नहीं लिया।

Scanned with CamScanner

सर्वेक्षित जिलें के ऋण के स्रोतों में सहकारी समितियों से सबसे अधिक सरगुजा जिले में 82.26 प्रतिशत ऋण गृहीताओं ने ऋण लिया तथा जशपुर जिले में सहकारी समितियों से ऋण नहीं लिया। बैंक से सबसे अधिक रायपुर जिले में 28.26 प्रतिशत तथा सबसे कम सरगुजा जिले में 12. 90 प्रतिशत ऋण गृहीताओं ने ऋण लिया। साहूकारों से जशपुर जिले में सबसे अधिक 27.08 प्रतिशत ऋण गृहीताओं ने ऋण लिया सरगुजा जिले में साहूकारों से ऋण नहीं लिया। रिश्तेदारों से जशपुर जिले में सबसे अधिक 16.67 प्रतिशत तथा सरगुजा जिले में सबसे कम 3.23 प्रतिशत ऋण प्राप्त किया। अन्य स्रोतों से सबसे अधिक जशपुर जिले में 39.58 प्रतिशत ऋण गृहीताओं ने ऋण प्राप्त किया। कांकेर जिले में ऋण गृहीताओं ने अन्य स्रोतों से ऋण नहीं प्राप्त किया हैं।

5.3 जनजातिवार ऋण स्रोत

विभिन्न जनजातियों परिवारों के ऋण स्रोत का विवरण निम्न सारणी में प्रदर्शित है :–

सारणी – 5.3
जनजाति परिवारों के ऋण स्रोत

क्रं.	जनजाति	जनजाति ऋण गृहीताओं की संख्या											
		सहकारी समिति		बैंक		साहूकार		रिश्तेदार		अन्य		कुल	
		संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.
1.	उरांव	41	37.27	13	35.13	9	32.14	10	66.76	19	90.48	92	43.60
2.	गोंड	45	40.91	15	40.54	7	25.00	2	13.33	–	–	69	32.71
3.	कमार	14	12.37	7	18.92	6	21.43	3	20.00	1	4.76	31	14.69
4.	मुंडा	–	–	2	5.41	5	17.86	–	–	1	4.76	8	3.79
5.	पहाड़ी कोरवा	8	7.27	–	–	–	–	–	–	–	–	8	3.79
9.	अन्य जनजातियां	2	1.82	–	–	1	3.57	–	–	–	–	3	1.42
	योग	110	100.00	37	100.00	28	100.00	15	100.00	21	100.00	211	100.00

ऋण के प्रमुख स्रोत सहकारी समितियों से उरांव जनजाति के 37.27 प्रतिशत, गोंड़ 4.91 प्रतिशत, कमार 12.73 प्रतिशत, पहाड़ी कोरवा 7.27 प्रतिशत तथा अन्य जनजाति 1.82 प्रतिशत ऋण प्राप्त किये है। सहकारी समिति से सबसे अधिक आय उरांव और गोंड़ जनजाति परिवारों ने ऋण प्राप्त किया है।

बैंकों से उरांव जनजाति के 35.13 प्रतिशत, गोंड़ 40.54 प्रतिशत, कमार 18.92 प्रतिशत, मुंडा 3.41 प्रतिशत ऋण प्राप्त किये हैं। बैंको से सबसे अधिक गोंड़ और उरांव जनजाति परिवारों ने ऋण प्राप्त किया है।

Scanned with CamScanner

साहूकारों से उरांव जनजाति के 32.14 प्रतिशत, गोंड 25.00 प्रतिशत, कमार 21.43 प्रतिशत, मुंडा 17.86 प्रतिशत तथा अन्य जनजाति परिवारों के 3.57 प्रतिशत ऋण प्राप्त किये है। साहूकारों से सबसे अधिक ऋण उरांव एवं गोंड़ जनजाति के परिवारों ने लिया हैं।

रिश्तेदारों से सबसे अधिक ऋण 66.67 प्रतिशत उरांव जनजाति परिवारों ने लिया हैं। गोंड़ 13.33 प्रतिशत तथा कमार 20.00 प्रतिशत ऋण प्राप्त किया हैं।

अन्य स्रोतों से उरांव जनजाति सबसे अधिक 90.48 प्रतिशत ऋण प्राप्त किया हैं कमार जनजाति के 4.76 प्रतिशत तथा मुंडा जनजाति के 4.76 प्रतिशत ऋण प्राप्त किया है।

5.4 आयवर्ग एवं ऋण का स्रोत

ऋणगृहीता परिवारों का ऋण का स्रोत एवं आय निम्न आय वर्ग में ऋण परिवारों द्वारा विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त किया गया है, इसका वितरण निम्न सारणी से प्रदर्शित है–

सारणी – 5.4
ऋण गृहीता परिवारों का आय वर्ग एवं ऋण का श्रोत

क्रं.	वार्षिक आय (रू. में)	जनजाति ऋण गृहीताओं की संख्या											
		सहकारी समिति		बैंक		साहूकार		रिश्तेदार		अन्य		कुल	
		संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.
1.	5000 से कम	2	1.77	1	2.86	–	–	1	14.29	2	11.76	6	3.05
2.	5000–10000	27	23.90	14	40.00	6	24.00	4	57.14	3	17.65	54	27.41
3.	10000–30000	79	69.91	17	48.57	19	76.00	2	28.57	12	70.59	129	65.48
4.	30000–50000	3	2.66	3	8.57	–	–	–	–	–	–	6	3.05
5.	50000 से अधिक	2	1.77	–	–	–	–	–	–	–	–	2	101
	योग	113	100.00	35	100.00	25	100.00	7	100.00	17	100.00	197	100.00

सर्वाधिक 65.48 प्रतिशत ऋण गृहीता 10000–30000 वार्षिक आय वर्ग के हैं। 27.41 प्रतिशत 5000–10000 आयवर्ग के हैं। 3.05 प्रतिशत 5000 से कम वार्षिक आय वर्ग के तथा 3.05 प्रतिशत 30000–50000 आय वर्ग के हैं 1.01 प्रतिशत 50000 से अधिक वार्षिक आय के हैं।

सहकारी समिति से सभी आय वर्ग के परिवारों ने ऋण प्राप्त किया हैं। 5000 रूपये से कम आय वर्ग के 1.77 प्रतिशत, 5000–10000 रूपये आय वर्ग के 23.90 प्रतिशत, 10000–30000 रूपये आय वर्ग के 69.91 प्रतिशत 30000–50000 रूपये आय वर्ग के 2.66 प्रतिशत तथा 50000 रूपये से अधिक आय वर्ग के परिवारों ने 1.77 प्रतिशत ऋण प्राप्त किया हैं।

Scanned with CamScanner

50000 रूपये से अधिक आय वर्ग को छोड़कर सभी आय वर्ग के परिवारों ने बैंकों से ऋण प्राप्त किया हैं। 50000 से कम आय वर्ग के 2.64 प्रतिशत परिवार, 5000–10000 रूपये आय वर्ग के 40 प्रतिशत, 10000–30000 रूपये आय वर्ग के 48.57 प्रतिशत तथा 30000–50000 रूपये आय वर्ग के 8.57 प्रतिशत परिवारों ने ऋण प्राप्त किया।

साहूकारों से मात्र 5000–10000 रूपये आय वर्ग के 24 प्रतिशत प्रतिशत तथा 10000–30000 रूपये आय वर्ग के 76 प्रतिशत परिवारों ने ऋण लिया है।

30000 रूपये से अधिक आय वर्ग के लोगों ने रिश्तेदारों से ऋण नहीं लिया है। 5000 रूपये से कम आय वर्ग के परिवारों ने 14.29 प्रतिशत, 5000–10000 रूपये आय वर्ग के 57.14 प्रतिशत तथा 10000–30000 रूपये आय वर्ग के 28.57 प्रतिशत परिवारों ने ऋण लिया है।

अन्य स्रोतो से 5000 रूपये से कम आय वर्ग के परिवारों ने 11.76 प्रतिशत, 5000–10000 रूपये आय वर्ग के 17.65 प्रतिशत तथा 10000–30000 आय वर्ग के 70.59 प्रतिशत परिवारों ने ऋण प्राप्त किया है।

ऋण गृहीता परिवारों का जिलावार विवरण निम्नानुसार है :–

<u>जिला–सरगुजा</u>

सारणी 5.4.1

सरगुजा जिले के ऋण गृहीता परिवारों का आयवर्ग व ऋण स्रोत

क्रं.	आय वर्ग (रूपये में)	ऋण गृहीता परिवारों की संख्या						
		सहकारी समिति	बैंक	साहूकार	रिश्तेदार	अन्य	कुल	प्रतिशत
1.	5000 से कम	2	–	–	–	–	2	3.39
2.	5000–10000	15	2	–	–	–	17	28.82
3.	10000–30000	33	5	–	–	–	38	64.41
4.	30000–50000	1	–	–	–	–	1	1.69
5.	50000 से अधिक	1	–	–	–	–	1	1.69
	योग	52	7	–	–	–	59	100.00

सरगुजा जिले में अधिकांश ऋण गृहीता 10000–30000 आय वर्ग के हैं तथा सहकारी समितियों से अपनी ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति की है साहूकारों से किसी ऋण गृहीता ने ऋण प्राप्त नहीं किया है।

Scanned with CamScanner

जिला–जशपुर

सारणी 5.4.2
जशपुर जिले के ऋण गृहीता परिवारों का आयवर्ग व ऋण स्रोत

क्रं.	आय वर्ग (रूपये में)	ऋण गृहीता परिवारों की संख्या						
		सहकारी समिति	बैंक	साहूकार	रिश्तेदार	अन्य	कुल	प्रतिशत
1.	5000 से कम	–	–	–	–	1	1	2.70
2.	5000–10000	–	1	1	1	4	7	18.92
3.	10000–30000	–	6	10	1	11	28	75.68
4.	30000–50000	–	1	–	–	–	1	2.70
5.	50000 से अधिक	–	–	–	–	–	–	–
	योग	–	8	11	2	16	37	100.00

जशपुर जिले में सर्वाधिक ऋण गृहीता परिवार 10000–30000 आय वर्ग के हैं जिले में मुख्य रूप से अन्य स्रोत स्वसहायता समूह आदि तथा साहूकारों से ऋण प्राप्त किया है। जिले में सर्वेक्षित ऋण गृहीताओं ने सहकारी समिति से ऋण प्राप्त नहीं किया है।

जिला–कांकेर

सारणी 5.4.3
कांकेर जिले के ऋण गृहीता परिवारों का आयवर्ग व ऋण स्रोत

क्रं.	आय वर्ग (रूपये में)	ऋण गृहीता परिवारों की संख्या						
		सहकारी समिति	बैंक	साहूकार	रिश्तेदार	अन्य	कुल	प्रतिशत
1.	5000 से कम	–	–	–	1	–	1	1.82
2.	5000–10000	8	6	2	1	–	17	30.91
3.	10000–30000	30	1	2	–	–	33	60.00
4.	30000–50000	2	1	–	–	–	3	5.45
5.	50000 से अधिक	1	–	–	–	–	1	1.82
	योग	41	8	4	2	–	55	100.00

Scanned with CamScanner

कांकेर जिले में भी सर्वाधिक ऋण गृहीता परिवार 10000–30000 आय वर्ग के है। अधिकांश व्यक्तियों ने सहकारी समितियों से ऋण प्राप्त किया है।

<u>जिला–रायपुर</u>

सारणी 5.4.4
रायपुर जिले के ऋण गृहीता परिवारों का आयवर्ग व ऋण स्रोत

क्रं.	आय वर्ग (रूपये में)	ऋण गृहीता परिवारों की संख्या						
		सहकारी समिति	बैंक	साहूकार	रिश्तेदार	अन्य	कुल	प्रतिशत
1.	5000 से कम	1	1	–	–	–	2	4.35
2.	5000–10000	3	4	4	2	–	13	28.26
3.	10000–30000	16	7	6	1	–	30	65.22
4.	30000–50000	–	–	–	–	1	1	2.17
5.	50000 से अधिक	–	–	–	–	–	–	–
	योग	20	12	10	3	1	46	100.00

रायपुर जिले में सर्वाधिक ऋण गृहीता परिवार 10000–30000 आय वर्ग के हैं। सर्वाधिक ऋण गृहीता परिवार सहकारी समिति से ऋण प्राप्त किया।

सारणी – 5.4.5.
जिलावार लिये गये ऋण राशि

क्रमांक	ऋण राशि (रू.में)	जिलावार संख्या									
		सरगुजा		जशपुर		कांकेर		रायपुर		योग	
		संख्या	प्रति	संख्या	प्रति	संख्या	प्रति	संख्या	प्रति	संख्या	प्रति
1.	5000 रू. तक	47	79.66	29	78.38	38	69.09	28	60.87	142	72.08
2.	5000–10000	7	11.87	3	8.11	10	18.18	6	13.40	26	13.20
3.	10000–20000	2	3.39	2	5.41	4	7.27	6	13.04	14	7.11
4.	20000–30000	3	5.08	–	–	1	1.82	5	10.87	9	4.57
5.	30000–40000	–	–	1	2.70	1	1.82	1	2.18	3	1.52
6.	40000–50000	–	–	1	2.70	–	–	–	–	1	0.51
7.	50000– से अधिक	–	–	1	2.70	1	1.82	–	–	2	1.01
	कुल	59	100.00	37	100.00	55	100.00	46	100.00	197	100.00

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत सारणी से स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजातियों द्वारा ऋण लेने की राशि सबसे अधिक 5000 रूपये तक 72.08 प्रतिशत है। इसके बाद क्रमशः 5000–10000 रूपये तक 13.20 प्रतिशत, 10000–20000 रूपये तक 7.111 प्रतिशत 20000–30000 रूपये तक 4.57 प्रतिशत 3000.40000 रूपये तक 1.53 प्रतिशत 40000–50000 रूपये तक 0.51 प्रतिशत 50000 रूपये से अधिक 1.01 प्रतिशत परिवारों से ऋण लिया।

5.5 ऋण उपलब्धता :–

सहकारी समितियों, बैंकों, साहूकारों तथा अन्य स्रोत से प्राप्त ऋण राशि का विवरण निम्न सारणी में प्रदर्शित है :–

सारणी – 5.5
ऋण स्रोत तथा उपलब्ध ऋण राशि

क्रं.	स्रोत	ऋण गृहीता परिवार				
		संख्या	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	औसत ऋण राशि रूपये में
1.	बैंक	37	17.53	605667	44.41	16369
2.	सहकारी समिति	110	52.13	529192	38.80	4810
3.	साहूकार	28	13.27	90750	6.65	3241
4.	रिश्तेदार	15	7.11	60400	4.44	4026
5.	अन्य स्रोत	21	9.96	77700	5.70	3700
	योग	211	100.00	1363709	100.0	6463

ऋण गृहीता जनजाति परिवारों ने प्रति परिवार औसत ऋण रू. 6483 का ऋण लिया है।

बैंकों ने सर्वाधिक ऋण राशि उपलब्ध कराया है। बैंको से 17.53 प्रतिशत ऋणगृहीताओं ने कुल उपलब्ध ऋण का 44.41 प्रतिशत ऋण प्राप्त किया है। बैंकों ने औसतन रूपये 16369 प्रति परिवार ऋण का वितरण किया है।

52.13 प्रतिशत ऋण गृहीताओं ने सहकारी समितियों से कुल उपलब्ध ऋण रू. 38.80 प्रतिशत ऋण प्राप्त किया है। सहकारी समितियों द्वारा औसत प्रति परिवार रू. 4810 का ऋण वितरित किया गया।

13.27 प्रतिशत ऋण गृहिताओं ने साहूकारों से कुल उपलब्ध ऋण का 6.65 प्रतिशत ऋण दिया है। साहूकारों ने औसतन प्रति ऋण गृहीता रू. 3241 का ऋण प्रदान किया है।

Scanned with CamScanner

7.11 प्रतिशत ऋण गृहीताओं ने अपने रिश्तेदारों से कुल उपलब्ध ऋण राशि का 4.44 प्रतिशत भाग ऋण के रूप में प्राप्त किया है। प्रति ऋण गृहीता परिवार रू. 4026 का ऋण प्राप्त किया है।

9.96 प्रतिशत ऋण गृहीताओं ने उपलब्ध ऋण का 5.70 प्रतिशत भाग अन्य स्रोत से प्राप्त किया है। अन्य स्रोत से प्रति परिवार औसतन रू. 3700 ऋण प्राप्त हुआ है।

उपर्युक्त विवरण से यह ज्ञात होता है कि प्रति परिवार सबसे अधिक मात्रा में ऋण राशि बैंकों द्वारा तथा न्यूनतम ऋण राशि की मात्रा साहूकारों द्वारा उपलब्ध करायी गई है।

5.6 सर्वेक्षित क्षेत्र में ऋण स्रोत की उपलब्धता :—

अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में सामान्य क्षेत्र की तुलना में ऋण स्रोत तथा सहकारी समितियों, बैंकों आदि की उपलब्धता कम है। सर्वेक्षित ग्रामों अथवा ग्रामों के समीप उपलब्ध ऋण स्रोत का विवरण निम्नानुसार है:—

5.61 सर्वेक्षित क्षेत्र में बैंकों की उपलब्धता

सर्वेक्षित 16 ग्रामों में से बैंकों की उपलब्धता तथा उपलब्ध बैंकों की ग्रामों से दूरी का विवरण निम्न सारणी में प्रदर्शित है —

सारणी 5.6

उपलब्ध बैंकों की ग्राम से दूरी (किमी)

क्रमांक	दूरी (किमी)	बैंक/ग्राम संख्या	प्रतिशत
1.	3 कि.मी. से कम	1	6.25
2.	4 से 5	6	37.50
3.	6—10	8	50.00
4.	11.15	1	6.25
	योग	16	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 43.75 प्रतिशत ग्रामों में 5 किमी की दूरी पर बैंक उपलब्ध है 50.00 प्रतिशत ग्रामों में 6 से 10 किमी की दूरी पर बैंक उपलब्ध है 6.25 प्रतिशत ग्राम में 11 से 15 किमी की दूरी पर बैंक सेवा उपलब्ध है।

Scanned with CamScanner

5.6.2 सर्वेक्षित क्षेत्रों में सहकारी समितियों की उपलब्धताः–

सरणी – 5.6.2.
सहकारी समितियों की उपलब्धता

क्रं.	जिला	वि. खण्ड	सहकारी समितियों की उपलब्धता			
			ग्राम	हाँ	नहीं	दूरी (कि.मी.)
1.	सरगुजा	1. अम्बिकापुर	बकालो	–	✓	9
			मानिकपुर	–	✓	6
		2. बतौली	देवरी	–	✓	8
			नयाबांध	–	✓	16
2.	जशपुर	1. बगीचा	बसाडीह	–	✓	10
			बांसटोली	–	✓	30
		2. कुनकुरी	बरडांड	–	✓	25
			सराईटोला	–	✓	8
3.	कांकेर	1. चारामा	गोलकुम्हडा	–	✓	7
			खैरखेडा	–	✓	6
		2. नरहरपुर	भैंसमुडी	–	✓	8
			भरादेव	–	✓	10
4.	रायपुर	1. गरियाबंद	भेजराडीह	–	✓	6
			बम्हनी	–	✓	4
		2. छूरा	धरमपुर	–	✓	8
			दीवना	–	✓	10

उपरोक्त सारणी में सर्वेक्षित ग्राम में सहकारी समितियों की उपलब्धता–अनुपलब्धता की जानकारी दी गई है। सर्वेक्षित किसी भी ग्राम में सहकारी समिति उपलब्ध नहीं है। ग्राम से केन्द्र की औसत दूरी 10 किलोमीटर है। अध्ययन किये गये ग्राम से केन्द्र की सबसे अधिक दूरी जशपुर जिला में 10–30 किमी की है।

5.6.3 ऋण उपलब्धता के असंस्थागत स्रोत :–

जनजातियों का ऋण उपलब्ध कराने साहूकारों तथा रिश्तेदारों का सहयोग भी महत्वपूर्ण है। सर्वेक्षित जनजाति परिवारों में विभिन्न प्रयोजनों के लिये ऋण में साहूकारों की भागीदारी 13.27 प्रतिशत तथा रिश्तेदारों से प्राप्त ऋण प्रयोजनों 7.11 प्रतिशत है। यह इसलिये भी महत्वपूर्ण है कि जनजाति क्षेत्रों में बैंकों तथा केन्द्रीय सहकारी समितियों – बैंकों का विस्तार बहुत कम हुआ है। सर्वेक्षित 16 ग्रामों में साहूकारों की उपलब्धता निम्नानुसार पायी गई :–

Scanned with CamScanner

सारणी – 5.6.3
सर्वेक्षित ग्रामों में साहूकारों की उपलब्धता

क्रं.	ग्राम का नाम	साहूकार है	उपलब्ध स्थान	यदि ग्राम में साहूकार नहीं है तो दूरी (किमी में)
1.	भेजराडीह	नहीं	गरियाबंद	6
2.	बम्हनी	नहीं	गरियाबंद	4
3.	धरमपुर	नहीं	छुरा	9
4.	दीवना	नहीं	छुरा	20
5.	गोलकुम्हडा	नहीं	चारामा	7
6.	खैरखेडा	नहीं	चारामा	6
7.	भैंसमुडी	नहीं	नरहरपुर	5
8.	भरादेव	नहीं	नरहरपुर	15
9.	बसाडीह	नहीं	बगीचा	10
10.	बांसटोली	नहीं	बगीचा	30
11.	बरडांड	नहीं	कुनकुरी	26
12.	सराईटोली	नहीं	कुनकुरी	8
13.	बकालो	नहीं	अम्बिकापुर	5
14.	मनिक प्रकाशपुर	नहीं	अम्बिकापुर	7
15.	देवरी	नहीं	बतौली	6
16.	नयाबांध	नहीं	बतौली	18

बहुत से साहूकारों ने आदिवासियों के सरल स्वभाव, अशिक्षा आदि के कारण कई प्रकार से उनका शोषण प्रारंभ कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप शासन को साहूकारों का पंजीयन तथा ऋण निवारण अधिनियम लागू करना पड़ा। भूमि तथा इमारती वृक्षों पर आदिवासियों के हितों की रक्षा करने जनजातियों द्वारा गैर जनजातियों के भूमि हस्तांरण पर रोक के लिये भू–राजस्व संहिता अर्न्तगत प्रावधान किये गये। वृक्षों पर आदिवासियों के अधिकार संबंधी कानून बनाया गया। साहूकारों की अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से वैधानिक रोक लगा दी गई है तथापि पंजीकृत साहूकार नियमानुसार ऋण देने का कार्य कर रहे है। साहूकारी प्रथा का स्वरूप भी बदल गया है। अब ग्रामीण क्षेत्र के बड़े व्यापारी दुकानदार अपने परिचित कृषकों को आवश्यकता होने पर बिना किसी वैधानिक औपचारिकता के ऋण उपलब्ध करा देते है। पूर्व में साहूकार आदिवासियों को ऋण लेने प्रोत्साहित करते थे ताकि उनसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। आदिवासी जन सहजता से शोषण का शिकार हो जाते थे।

Scanned with CamScanner

साहूकारों की विवादास्पद भूमिका के बावजूद वह जरूरतमंदों की तात्कालिन आवश्यकता की पूर्ति करने वाला मित्र व सम्मानीय व्यक्ति है। जब बैंक, सहकारी समिति एवं रिश्तेदारों से जरूतमंद को राशि नहीं मिल पाती, तब वह साहूकार की निःसंकोच सेवा प्राप्त करता है, यह जानते हुए भी कि उसे अन्य स्रोतों से प्राप्त ऋण की अपेक्षा अधिक राशि ब्याज सहित वापस करना होगा। साहूकार से ऋण प्राप्त करने जटिल औपचारिकताओं की पूर्ति करना आवश्यक नहीं होता है और वह सरलता से राशि प्राप्त कर लेता है।

स्वतंत्रता के पूर्व से जमीनदारों–मालगुजार तथा साहूकार जनजाति क्षेत्र में रूपये उधार देने जमीन गिरवी रखने, व भोजन तथा कृषि उपजों के उत्पादन–संग्रहण के लिये अग्रिम राशि देने का कार्य कर रहे थे। जमीनदारी एवं मालगुजारी प्रथा के उन्मूलन के पश्चात इन लोगों ने ऋण देने का कार्य समाप्त कर दिया, किन्तु साहूकार रूपये उधार देने तथा गिरवी रखने का कार्य करते रहे हैं। साहूकार का आदिवासियों से बहुत निकट का आर्थिक रिश्ता होता है।

सर्वेक्षित ग्रामों में साहूकार निवासरत नहीं है। ग्राम से साहूकारों के निवासग्राम की दूरी निम्नानुसार पायी गई :–

सारणी 5.6.4
सर्वेक्षित ग्रामो से साहूकारों के निवास ग्राम के दूरी एवं संख्या

क्रमांक	दूरी किमी में	साहूकार	संख्या प्रतिशत
1.	5 किमी से कम	3	18.75
2.	6–10	8	50.00
3.	11–15	1	6.25
4.	16–20	1	6.25
5.	21 और अधिक	3	18.75

18.75 प्रतिशत साहूकार 5 किमी से कम दूरी तक उपलब्ध है। 50.00 प्रतिशत में से 6 से 10 किमी की दूरी तक 6.25 प्रतिशत, 11 से 15 किमी दूर तक, 6.25 प्रतिशत 16 से 20 किमी तथा 18.75 प्रतिशत में 21 और अधिक किमी दूरी पर साहूकार उपलब्ध है।

Scanned with CamScanner

5.6.4 रिश्तेदार :—

जनजातियों में परस्पर सहयोग की परम्परा रही है। रिश्तेदारों से ऋण लेना अच्छा नहीं माना जाता किन्तु सम्पन्न रिश्तेदारी से आपसी समझबुझ के आधार पर ऋण लिया जाता है। रिश्तेदारों से ऋण लेने किसी प्रकार की कागजी औपचारिकताओं की पूर्ति करना आवश्यक नहीं है। बहुधा रिश्तेदारों से बिना ब्याज अथवा कम ब्याज पर ऋण मिल जाता है।

5.7 सर्वेक्षित क्षेत्र के कुछ बैंक :—

बैंक अनुसूची के माध्यम से बैंकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वीकृत ऋण प्रकरण की प्रयोजनवार स्थिति निम्नानुसार है :

(i) जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक रायपुर

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायपुर द्वारा वर्ष 2006—2007 एवं वर्ष 2008—2009 में अनुसूचित जनजातियों के स्वीकृत ऋण प्रकरण तथा राशि का विवरण निम्नानुसार है:—

सारणी 5.7.1
स्वीकृत ऋण एवं राशि

क्रंमाक	प्रयोजन—योजना	स्वीकृत ऋण प्राकरण संख्या	प्रतिशत	स्वीकृत राशि (रू. लाख में)	
				राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	टेक्टर	30	54.55	122.83	94.59
2.	सबमर्सिबल पम्प नलकूप	03	5.45	1.77	1.36
3.	केरोसिन पम्प	01	1.82	0.15	0.12
4.	बैलजोड़ी/गाड़ी	14	25.45	3.29	2.33
5.	व्यवसाय	07	12.73	1.82	1.40
	कुल	55	100.00	129.86	100.00

बैंकों को सीमित समय के लिये सीमित लक्ष्य प्राप्त हुआ था, अनुसूचित जनजातियों को 55 ऋण प्रकरण स्वीकृत किये गये। इसमें आधे से अधिक (54.55 प्रतिशत) प्रकरण ट्रेक्टर क्रय के एक चौथाई (25.45 प्रतिशत), बैल जोड़ी गाड़ी क्रय के (7.27 प्रतिशत) तथा 12.73 प्रतिशत व्यवसाय के लिये है।

Scanned with CamScanner

(ii) छ.ग. ग्रामीण बैंक बगीचा :–

5.7.2– छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक बगीचा, जिला जशपुर द्वारा एवं 2006–2007 एवं 2007–2008 में शासकीय योजना एवं समूह ऋण के 33 (16.50 प्रतिशत) प्रकरण, अल्प अवधि के कृषि ऋण 122 प्रकरण (61.0 प्रतिशत) तथा व्यक्तिगत एवं स्वरोजगार योजना अर्न्तगत 45 प्रकरण (22.50 प्रतिशत) स्वीकृत किये गये।

शासकीय योजना एवं समूह ऋण रू. 19.55 लाख या (32.75 प्रतिशत), अल्प अवधि कृषि ऋण रू. 31.27 लाख (52.38 प्रतिशत) तथा व्यक्तिगत एवं स्वरोगार हेतु रू. 8.88 या (14.87 प्रतिशत) लाख के ऋण स्वीकृत किये गये।

एस. जी. एस. वाई. (स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना)

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का शासन द्वारा चयनित कर लोगों को ऋण एवं अनुदान की सुविधा दी जाने वाली बैंकिंग व्यवस्था है।

5.7.3 छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, रायपुर

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित नई दिल्ली के सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य अन्त्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित रायपुर संचालित है।

अन्त्यावसायी वित्त एवं विकास निगम अपनी जिला समितियों के माध्यम से जनजातियों को ऋण उपलब्ध कराती है।

अनुसूचित जनजातियों का ऋण उपलब्ध कराने निर्धारित शर्तें मापदण्ड एवं ब्याज दरों का योजनावार उल्लेख –

1. आटो, रिक्शा, मिनी बस, मिनी ट्रक, जीप टैक्सी–जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, कर्ज नहीं प्रमाण पत्र, (No dues certificate) कमर्शियल लायसेंस पर्याप्त जमानतदार।
2. टेक्टर ट्राली – जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, कर्ज नहीं प्रमाण पत्र (No dues certificate) पोस्ट डेटेड चेक, निगम द्वारा निर्धारित आवश्यक ऋण दस्तावेज कमर्शियल लायसेंस, आवेदक के पास स्वयं के नाम से 5 एकड़ कृषि भूमि होना आवश्यक है पर्याप्त जमानतदार।
3. लघु ऋण–जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र कर्ज नहीं प्रमाण पत्र (No dues certificate), पोस्ट डेटेड चेक, निगम द्वारा निर्धारित आवश्यक ऋण दस्तावेज, पर्याप्त जमानतदार।
4. महिला सशक्तिकरण–जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, कर्ज नहीं प्रमाण पत्र (No dues certificate), पेस्ट डेटेड चेक निगम द्वारा निर्धारित आवश्यक ऋण दस्तावेज, पर्याप्त जमानतदार।

Scanned with CamScanner

5. कृषि उत्खन्न–जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, कर्ज नहीं प्रमाण पत्र (No dues certificate), पोस्ट डेटेड चेक निगम द्वारा निर्धारित आवश्यक ऋण दस्तावेज, पर्याप्त जमानतदार।

सारणी 5.7.2
अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास समिति जिला शाखा रायपुर
2006.07

क्रं.	ऋण का प्रयोजन योजना	आवेदन संख्या	स्वीकृत प्रकरण	स्वीकृत राशि		
				ऋण	अनुदान	कुल (लाखों में)
1.	टेक्टर ट्राली	10	04	19.59	0.40	19.99
2.	डीजल ऑटो	6	1	1.90	0.10	2.00
3.	जीप टैक्सी	3	1	4.35	0.10	4.45
4.	मिनीट्रक	2	2	10.02	0.20	10.22
5.	महिला सशक्तीकरण	10	7	2.80	0.70	3.50
6.	मिनीबस	10	7	53.58	0.70	54.28
7.	कृषि उत्खन्न	2	2	1.80	0.20	2.00
8.	कुल	43	24	94.04	2.40	96.44
	1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008					
1.	टेक्टर ट्राली	08	04	21.36	0.40	21.76
2.	डीजल आटो	10	08	16.35	0.08	17.15
3.	जीप टैक्सी	02	01	4.35	0.10	4.45
	कुल	20	13	42.06	1.30	43.36
	महायोग	63	37	136.10	3.70	139.60

रायपुर जिला में अंत्यावसायी समिति द्वारा वर्ष 2006–2007 एवं वर्ष 2007–2008 में कुल 63 जनजातियों के ऋण आवेदन प्राप्त हुये। उसमें से 37 प्रकारणों (58.73 प्रतिशत) पर स्वीकृति प्रदान कर रू. 126.10 लाख का ऋण तथा रू. 3.10 लाख का अनुदान उपलब्ध कराया गया।

Scanned with CamScanner

5.8 छत्तीसगढ़ राज्य के जनजातीय स्रोतों में बैंकिग सुविधा :–

भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रेल 1935 में की गई और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी, 1949 में किया गया। बैंकिग कम्पनीज एक्ट फरवरी 1949 में पारित किया गया। 1959 में 7 क्षेत्रीय बैंकों का राष्ट्रीकरण कर उन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सम्बद्ध किया गया। 1969 में 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीकरण किया गया। बैंकों के राष्ट्रीकरण के पश्चात बैंकों ने आर्थिक उत्तरदायित्वों के साथ–साथ सामाजिक दायित्वों की ओर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि (1967–74) समाजवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य रखा गया था। छठवीं पंचवर्षीय योजना (1980–85) में गरीबी उन्मूलन हेतु अनेक शासकीय योजनाएँ प्रारंभ की गई। इन योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लिये बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने वर्ष 1970 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। ग्रामीण बैंकों की स्थापना लघु एवं सीमांत कृषक, कृषि श्रमिक ग्रामीण कारीगरों तथा ग्रामीण लघु उद्यमी को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने की गई।

भारत सरकार द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र अर्न्तगत 590 बैंक शाखाएं तथा 429 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखाएँ संचालित है।

सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की तुलना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखाएँ जनजाति क्षेत्रों में अधिक संख्या में स्थापित है।

राज्य के 7 आदिवासी बाहुल्य जिलें (कोरिया, सरगुजा, जशपुर, कोरबा, कांकेर, बस्तर तथा दन्तेवाडा), जिसमें राज्य की कुल जनसंख्या का 34.56 प्रतिशत भाग निवासरत है। राज्य के 3 गैर आदिवासी जिलों (रायपुर, दुर्ग तथा राजनांदगाँव) में राज्य की कुल जनसंख्या का 34.13 प्रतिशत भाग निवासरत है।

राज्य के आदिवासी बाहुल्य उपर्युक्त 7 जिलों में सार्वजनिक क्षेत्र की 166 शाखाएँ स्थापित है जो राज्य में स्थापित कुल 590 शाखाओं का 28.13 प्रतिशत है। इसके विपरीत राज्य के उपर्युक्त 3 गैर आदिवासी जिलों में सार्वजनिक क्षेत्र अन्तर्गत 257 शाखाएँ संचालित है, जो कुल शाखाओं का 43.50 प्रतिशत है।

राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या 428 है। उपर्युक्त वर्णित 7 आदिवासी बाहुल्य जिलों में 174 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संचालित है जो राज्य की कुल ग्रामीण बैंकों का 48.05 प्रतिशत है। इसके विपरीत 3 गैर आदिवासी जिलों में ग्रामीण बैंकों की कुल 128 शाखाएँ संचालित है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि राज्य के आदिवासी क्षेत्र में ग्रामीण बैंकों की पहुंच तथा उसकी भूमिका सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है।

राज्य के बैंकों की जमा एवं ऋण की स्थिति निम्नानुसार है :–

Scanned with CamScanner

सारणी – 5.8

बैंकों में जमा एवं ऋण की स्थिति (रूपये करोड़ो में)

क्रं.	विवरण	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		ग्रामीण क्षेत्र के बैंक		अन्य सभी वाणिज्यिक बैंक	
		जमा	ऋण	जमा	ऋण	जमा	ऋण
1.	1.7 जनजाति बाहुल्य जिला	3198	1485	835	261	4056	1746
2.	1.1 जमा से ऋण प्रतिशत	–	46.43	–	31.26	–	43.08
3.	2.4 गैर आदिवासी जिले	8438	5983	595	155	9786	6612
4.	2.1 जमा से ऋण प्रतिशत	–	70.90	–	26.05	–	67.56
5.	3 राज्य	17379	9156	1921	628	20468	10275
6.	3.1 जमा से ऋण प्रतिशत	–	52.68	–	32.69		5020

7 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, ग्रामीण बैंक तथा अन्य बैंकों में क्रमशः रुपये 3198 करोड़, 835 करोड़ तथा 4056 करोड़ जमा था इसके विरुद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, ग्रामीण बैंक तथा अन्य बैंकों द्वारा क्रमशः रु. 1485 करोड़ (46.53 प्रतिशत) रु. 261 करोड़ (31.36 प्रतिशत) तथा रु. 1746 करोड़ (43.08 प्रतिशत) ऋण उपलब्ध कराया गया। इससे स्पष्ट है कि जनजातीय क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने ग्रामीण बैंकों तथा अन्य बैंकों की तुलना में अधिक ऋण वितरित किया है।

3 गैर आदिवासी बाहुल्य जिलों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा अन्य बैंकों में जनजातीय क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अधिक राशि जमा एवं ऋण अर्न्तगत पायी गई किन्तु ग्रामीण बैंकों की भूमिका आदिवासी बाहुल्य जिलों में अधिक अच्छी पायी गई है।

5.9 सहकारी समितियाँ/सहकारी बैंक

सहकारिता संगठन का वह रूप है जिसमें लोग अपने आर्थिक हितों की वृद्धि के लिये, समानता के आधार पर एच्छिक रूप से सहयोग करते हैं। उनका एक सामान्य आर्थिक उद्देश्य होता है जिसे वे अपने व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा पूरी नहीं कर सकते क्योंकि उनमें से अधिकांश व्यक्तियों की आर्थिक दशा बहुत दुर्बल होती है।

Scanned with CamScanner

अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक स्थिति पिछड़ी हुई है अतः सहकारिता उनके लिये भी बहुत उपयोगी है।

भारत में 19वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में सहकारी आन्दोलन का श्रीगणेश हुआ। सन 1904 में कोआपरेटिव्ह एक्ट के अन्तर्गत प्रारम्भिक साख समितियों के लिये व्यवस्था की गई।

भारत में सहकारी साख प्रणाली का संगठन संघीय आधार पर हुआ है। सबसे नीचे ग्रामीण अथवा नगरीय साख समितियाँ है। इन समितियों के ऊपर केन्द्रीय बैंक और सबसे ऊपर प्रान्तीय सहाकारी बैंक या शीर्ष बैंक (अपेक्स बैंक) है।

कोई भी 10 या इससे अधिक व्यक्ति मिलकर सहाकरी साख समिति स्थापित कर सकते हैं।

प्रारम्भिक सहकारी साख संस्थाओं के साधन उनकी आवश्यकता की तुलना में बहुत कम होते हैं अतः इनकी सहायता के लिये केन्द्रीय सहाकारी बैंकों की स्थापना की गई है। सामान्यतः एक जिले में एक केन्द्रीय बैंक होता है।

शीर्ष बैंक (अपेक्स बैंक) का उद्देश्य केन्द्रीय सहकारी बैंकों का संगठन का नेतृत्व करना तथा साख की व्यवस्था करना।

प्राथमिक सहकारी समितियां केवल अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है, अतः कृषकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने भूमिबन्धक बैंक भूमि विकास बैंकों का गठन किया गया है।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक जिला विपणन संघ तथा भूमि विकास बैंक स्थापित है। प्रायः सभी ग्राम पंचायत क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी साख समिति स्थापित है।

वर्ष 2007 में छत्तीसगढ़ राज्य में 293 सहकारी बैंक कार्यरत थे, इनकी जमा पूंजी रू. 1701 करोड तथा अग्रिम (ऋण) रू. 1097 करोड है। सहकारी बैंकों ने जमा पूंजी के विरूद्ध 64.49 प्रतिशत ऋण प्रदाय किया है।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक सर्मादित पंडरी रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत संस्थाओं की संख्या निम्नानुसार है:—

Scanned with CamScanner

सारणी 5.9
सहकारी संस्थाएँ

क्रं.	संस्था का प्रकार	संख्या वर्ष 2007—08
1.	शीर्ष संस्थाएं	14
2.	राज्य स्तरीय प्राथमिक सहकारी सोसायटी	12
3.	जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	12
4.	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	07
5.	नगरिक सहकारी बैंक	16
6.	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ	1333
7.	अन्य साख सहकारी समितियाँ	161
8.	जिला सहकारी संघ	16
9.	जिला अंत्यावसायी सहकारी समिति	16

समस्त राज्यस्तरीय शीर्ष संस्थाओं का मुख्यालय राजधानी रायपुर है।

अल्पकालीन साख संरचना के तहत किये जा रहे मुख्य कार्य :—

1. कृषकों को 6 प्रतिशत पर कृषि ऋण दिनांक 1.04.07 से दिया जा रहा है।
2. कृषक को ऋण की पात्रता अधिकतम 75 हजार से 1 लाख तक थी उसे बढ़ाकर 3 लाख तक किया गया है।
3. फसल ऋण में नगद एवं वस्तु का अनुपात पूर्व में 60.40 था, उसे बढ़ाकर 40.60 किया गया है।

राज्य में अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण निम्नानुसार किया गया है।

(राशि करोड़ों में)

क्रं.	वर्ष	कुल वितरण		
		नगद	वस्तु	योग
1.	2006—07	122.05	234.93	456.98
2.	2007—08	263.23	239.25	502.48

वर्ष 2006.07 में 62.11 प्रतिशत कृषि ऋणों की तथा वर्ष 2007—08 में 36.00 प्रतिशत कृषि ऋणों की वसूली की गई है।

Scanned with CamScanner

जिला सहकारी बैंक द्वारा 7 प्रतिशत ब्याज दर पर तथा वर्ष 2007–08 में 6 प्रतिशत ब्याज दर कृषि ऋण वितरण किया गया है। लाभान्वित कृषकों की संख्या तथा ऋण राशि (करोडों में) निम्न सारणी में प्रदर्शित है :–

सारणी – 5.10
जिला सहकारी बैंक द्वारा वितरित कृषि ऋण
वर्ष 2006–07 एवं वर्ष 2007.08

क्रं.	लाभान्वित कृषक	संख्या (लाखो में)	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1.	अनु. जनजाति	2.64	24.42	217.99	22.71
2.	अनु. जाति	1.50	13.88	110.91	11.55
3.	पिछड़ा वर्ग	5.68	52.54	494.02	51.51
4.	सामान्य वर्ग	0.99	9.16	136.55	14.23
	कुल	1081.	100.00	959.07	100.00

उपरोक्त सारणी में कृषि कार्य हेतु जिला सहकारी बैंक से ऋण लिया गया है। अधिकांशतः पिछड़ा वर्ग से 5.68 लाख व्यक्ति (52.54 प्रतिशत) ऋण प्राप्त किये। अनुसूचित जनजाति 2.64 लाख व्यक्ति (24.42 प्रतिशत) अनुसूचित जाति 1.50 लाख व्यक्ति (13.88 प्रतिशत) तथा सामान्य वर्ग 0.99 लाख (9.16 प्रतिशत) व्यक्ति ऋण प्राप्त किये।

जिला सहकारी बैंक से पिछड़ा वर्ग सबसे अधिक ऋण 494.02 करोड़ (51.51 प्रतिशत) प्राप्त किया। अनुसूचित जनजाति 217.99 करोड़ (22.71 प्रतिशत) सामान्य वर्ग 136.55 (13.23 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जाति 110.91 करोड़ (11.55 प्रतिशत) ऋण प्राप्त किया।

राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण बैंकों की शाखाओं के माध्यम से कृषि एवं कृषि प्रयोजनार्थ जैसे उद्यानिकी, मत्स्यपालन, रेशम उद्योग, कृषि वानिकी, बायो गैस प्लांट आदि गैर कृषि प्रयोजनों के लिये दीर्घकालीन साख उपलब्ध करायी जाती है।

वर्ष 2006–07 में रू. 7.12 करोड़ तथा वर्ष 2007–08 में रू. 6.27 करोड़ का ऋण वितरण किया गया। लाभार्थियों की संख्या तथा वर्गवार संख्या अनुपलब्ध है।

Scanned with CamScanner

अध्याय – 6

ऋण आवश्यकता उपलब्धता तथा कठिनाइयाँ

पूर्व अध्यायों में ऋण प्रयोजन तथा ऋण स्रोतों का उल्लेख किया गया है, प्रस्तुत अध्याय में जनजाति ऋण गृहीताओं की ऋण आवश्कता तथा उसकी उपलब्धता पूर्ति पर आवश्यक विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

6.1 ऋण आवश्यकता तथा उपलब्धता

ऋण आवश्यकता तथा उपलब्धता का स्रोत वार विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित है :–

सारणी 6.1

स्रोतवार ऋण आवश्यकता तथा उपलब्धता (रुपये में)

क्रमांक	ऋण स्रोत	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता से उपलब्धता प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	बैंक	662000	605667	91.49
2.	सहकारी समिति	530092	529192	99.83
3.	साहूकार	95200	90790	95.37
4.	रिश्तेदार	65800	60400	91.79
5.	अन्य स्रोत	83500	77700	93.05
	योग	1436592	1363709	94.92

ऋण गृहीताओं को बैंकों से ऋण आवश्यकताओं का 91.49 प्रतिशत तथा सहकारी समितियों की आवश्यकता का 99.83 प्रतिशत ऋण उपलब्ध हुआ है।

6.2 ऋण प्रयोजन अनुसार ऋण आवश्यकता तथा उपलब्धता

ऋण प्रयोजन अनुसार ऋण गृहीताओं की ऋण आवश्यकता तथा उपलब्धता का विवरण निम्न सारणी में प्रदर्शित है :–

Scanned with CamScanner

सारणी 6.2

प्रयोजनवार ऋण आवश्यकता तथा उपलब्धता (रूपया में)

क्रमांक	ऋण प्रयोजन	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता से उपब्धता प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	कृषि	1000392	981000	98.06
2.	उपभोग	36000	30000	83.33
3.	समाजिक कार्य	123000	119000	96.75
4.	शिक्षण	56000	44000	78.57
5.	स्वास्थ्य	41000	32000	78.04
6.	गृहनिर्माण	19500	13000	66.67
7.	अन्य	160000	142500	89.06
	योग	1436592	1363709	94.92

अन्य प्रयोजनों की तुलना में कृषि तथा सामाजिक कार्य के लिये आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्ति की स्थिति बेहतर है।

गृह निर्माण हेतु आवश्यकता से कम ऋण राशि उपलब्ध हुई है।

बैंको, वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुसूचित जनजातियों के ऋण प्रकरण स्वीकृत करने/ऋण उपलब्ध कराने में निम्न कठिनाईयों का होना बताया गया है।

(1) आवेदक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत जाति, निवास, अया प्रमाण पत्र, आवश्यक होने पर लायसेन्स तथा अन्य वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण ऋण स्वीकृत करने में कठिनाई होती है।

(2) परिवहन व्यवसाय के लिये आवेदक के पास वाहन चालन हेतु लायसेन्स न होना तथा वाहन चालन का ज्ञान न होना।

(3) ऋण के उद्देश्य अनुरूप निर्धारित कृषि भूमि का न होना।

(4) वांछित जमानत का न होना।

(5) अनुसूचित जनजाति के आर्थिक रुप से कमजोर आवेदक अंश राशि स्वयं जमा नहीं कर पाते अतः ऋण स्वीकृत नहीं किया जाता।

(6) बैंक को सीमित लक्ष्य तथा सीमित राशि मिलने के कारण भी अनेक बैंक अधिक संख्या में हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध नहीं करा पाते हैं।

Scanned with CamScanner

6.3 ऋण प्राप्त करने में असुविधाएँ

सर्वेक्षित 544 जनजाति परिवारों में से 197 ऋण गृहीता परिवारों द्वारा बैंको अथवा सहकारी से ऋण प्राप्त करने में होने वाली सुविधा / असुविधाओं के संबंध में निम्नानुसार विचार प्रकट किये गये:–

सारणी 6.3

ऋण प्राप्त करनें में सुविधा /असुविधा

क्रं.	विवरण	ऋण गृहीताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	2	3	4
1.	थोड़ी परेशानी हुई	83	42.13
2.	कोई असुविधा नहीं हुई	49	24.87
3.	कई बार जाना पड़ा	23	11.68
4.	बहुत परेशानी हुई	20	10.15
5.	अमानत के तौर पर पट्टा जमा करना पड़ा	22	11.17
	योग	197	100.00

49 ऋणगृहीताओं (24.87 प्रतिशत) को ऋण लेने में कोई असुविधा नहीं हुई तथा 83 ऋण गृहीताओं (42.13 प्रतिशत) को थोड़ी पेरशानी हुई। शेष 65 ऋणगृहीताओं (33.00 प्रतिशत) को ऋण लेना असुविधाजनक रहा है अर्थात् उन्हें कई बार बैंकों के चक्कर लगाना पडा, अमानत के तौर पर पट्टा जमा करने आदि बातों से बहुत परेशानी हुई।

6.4 ऋण न लेने के कारण

सर्वेक्षित 544 जनजाति परिवारों में से 347 ऋण विहीन परिवारों ने ऋण नहीं लेने के निम्न कारण बताये है :–

सारणी 6.3

ऋण प्राप्त करनें में सुविधा /असुविधा

क्रं.	विवरण	ऋण गृहीताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	2	3	4
1.	ऋण की आवश्यकता नहीं	94	27.09
2.	ऋण लेने में डर लगता है	147	42.36
3.	भूमि–हीन होने के कारण	42	12.10
4.	भूमि संयुक्त खाता में होने के कारण	06	01.73
5.	जमीन का वैधपट्टा न होना	54	15.56
6.	डिफाल्टर होने के कारण	04	01.15
	योग	347	100.00

Scanned with CamScanner

ऋण विहीन 347 परिवारों में से 94 परिवारो (27.09 प्रतिशत) ने ऋण की आवश्यकता न होने के कारण ऋण नहीं लिया शेष 253 परिवारों (72.91 प्रतिशत) ने विभिन्न कारणों से ऋण नहीं लिया।

143 परिवारों (42.36 प्रतिशत) परिवारों ने संकोचवश, भयवश, ऋण प्रक्रिया या, बैंकिग क्रिया कलापों से अवगत न होने के कारण, साहूकारों द्वारा किये जाने वाले शोषण की आशंका, दबाव या प्रताड़ना के भय आदि कारणो से ऋण नहीं लिया। 42 परिवार (12.10 प्रतिशत) कृषि भूमि नहीं होने कारण, 54 परिवारों (15.56 प्रतिशत) के पास जमीन का वैध पट्टा न होने कारण तथा 6 परिवार (1.73 प्रतिशत) संयुक्त खाते में जमीन होने के कारण ऋण लेने में असमर्थ रहे सर्वेक्षण में 4 परिवारों (1.15 प्रतिशत) ने डिफाल्टर (पूर्व ऋण न चुकाने के कारण) होने के कारण ऋण नहीं लिया है।

6.5 वित्तीय संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराने में कठिनाईयाँ

बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण उपलब्ध कराने में कठिनाईयाँ।

बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण उपलब्ध कराने में निम्नानुसार कठिनाइयाँ बतायी गई है;

01. अनुसूचित जनजाति व्यक्ति अधिकांशतः कम पढ़े लिखे है तथा बैंकों से व्यवहार करने में संकोच करते है।

02. हितग्राही प्रदत्त ईकाई का स्वयं सदुपयोग नहीं करते।

03. ऋण प्राप्त करने के पश्चात ऋण अदायगी में रूचि नहीं लेते।

04. शासन द्वारा समय समय पर कर्ज माफी की योजना के कारण हितग्राही द्वारा ऋण अदायगी पर कुप्रभाव होता है।

05. साहूकार एवं कुछ अन्य लोगों के द्वारा हितग्राहियों का शोषण करते हैं।

06. ऋण गृहीताओं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते।

07. अनुसूचित जनजाति के आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर होते है अतः वे आवश्यक अंश राशि (मार्जिन मनी) जमा नहीं कर पाते।

08. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति व्यवसाय हेतु ऋण लेते हैं किन्तु वे अनुभवहीनता तथा प्रशिक्षण के अभाव में व्यवसाय में सफल नहीं हो पाते।

09. रोजगार मूलक तथा अन्य परिवार मूलक तथा सामुदायिक विकास की योजनाओं की जानकारी नहीं होने के कारण वे उपलब्ध ऋण सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते।

10. अनुसूचित जनजाति के कई व्यक्ति अत्यधिक निर्धनता के कारण ऋण लेने के प्रति उदासीन रहते है।

Scanned with CamScanner

अध्याय – 7

निष्कर्ष एवं सुझाव

छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या 2.08 करोड़ है, इसमें से 66.14 लाख अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है जो राज्य की कुल जनसंख्या का 31.76 प्रतिशत हैं। जनजाति जनसंख्या का 94.66 प्रतिशत भाग ग्रामों में तथा 5.34 प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में निवासरत है।

छत्तीसगढ़ राज्य में कुल साक्षरता दर 64.4 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर 52.14 प्रतिशत है। जनजाति कार्यशील जनसंख्या का 56.60 प्रतिशत कृषि 32.7 प्रतिशत कृषि श्रमिक तथा शेष अन्य व्यवसायों में संलग्न हैं। भिन्न जनजातियाँ आर्थिक विकास के भिन्न पायदानों पर हैं।

राज्य में मुख्यतः 32 जनजातियां निवासरत हैं इनमें से गोंड (56.30 प्रतिशत) कंवर (11.49 प्रतिशत), उरांव (9.76 प्रतिशत) तथा हल्बा (4.94 प्रतिशत) भतरा (2.80 प्रतिशत) हैं। शेष जनजातियों की जनसंख्या कम है।

स्वतंत्रता के उपरान्त जनजातियों को एक नई विकासशील व्यवस्था से जूझना पड़ा है। जनजाति क्षेत्रों में मुद्रा की महत्ता बढ़ने तथा विकास कार्यक्रमों की गति बढ़ने से जनजातियाँ उसमें शामिल होकर प्रगति उन्मुख हुये हैं, अपनी सामाजिक–आर्थिक आवश्यकताओं के लिये ऋण लेना आवश्यक प्रतीत होने लगा है।

जनुसूचित जनजातियों के लिये ऋण की उपलब्धता अध्ययन के लिये 4 आदिवासी बाहुल्य जिले के 16 जनजाति बाहुल्य ग्रामों के 544 जनजातीय परिवारों का सर्वेक्षण अध्ययन किया गया है।

जनजातियों का प्रति परिवार औसत वार्षिक आय बहुत कम है तथा अधिकांश लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे है।

सर्वेक्षित जनजाति परिवारों 67.56 प्रतिशत पुरुष, 52.59 प्रतिशत महिला तथा कुल 60.27 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर पाये गये।

सर्वेक्षित कुल 544 जनजाति परिवारों में से 197 परिवार (36.21 प्रतिशत) ऋण ग्रहीता तथा 347 परिवार (63.79 प्रतिशत) ऋण विहीन है।

197 ऋण गृहीत परिवारों में 199 प्रयोजनों के लिये ऋण लिया है। इसमें से 130 (65.33 प्रतिशत) कृषि कार्य, 35 परिवार (17.59 प्रतिशत) उपभोग हेतु 9 परिवार (4.52 प्रतिशत) सामाजिक

Scanned with CamScanner

कार्य तथा शेष परिवारों ने शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई, गृहनिर्माण आदि प्रयोजनों के लिये ऋण लिया हैं।

सर्वाधिक ऋण गृहीता 129 परिवार (65.48 प्रतिशत) 10000 से 30000 आय वर्ग के तथा 54 परिवार (27.41 प्रतिशत) 5000.10000 आय वर्ग के है। शेष परिवार भिन्न आयवर्ग के है।

52.13 प्रतिशत ऋण गृहीता परिवार सहकारी समितियों से, 17.54 प्रतिशत बैंको से, 13.27 प्रतिशत साहूकारों से, 7.11 प्रतिशत रिश्तेदारों से तथा 9.95 प्रतिशत परिवारों ने अन्य स्रोते से ऋण प्राप्त किया है।

सर्वेक्षित ग्रामों में बैंक उपलब्ध नहीं है किन्तु 14 ग्रामों में 10 कि.मी. की दूरी पर बैंक की सुविधा उपलब्ध है।

सर्वेक्षित ग्रामों में साहूकार निवासरत नहीं पाये गये किन्तु 4 से 25.30 कि.मी. दूरी पर साहूकार उपलब्ध है। यही स्थिति सहकारी समितियों की भी हैं

आदिवासी बाहुल्य जिलों के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जमा राशि रु. 3198 करोड़ से रुपये 1485 करोड़ (46.43 प्रतिशत) ऋण, ग्रामीण बैंकों में जमा 835 करोड़ में से 261 करोड़ (31. 26 प्रतिशत) ऋण तथा अन्य वाणिज्यिक बैंक में जमा 4056 करोड़ में से 1746 करोड़ (43.08 प्रतिशत) ऋण दिया गया है।

जिला सहाकरी बैंकों द्वारा वर्ष 2006–07 एवं वर्ष 2007–08 में 10.81 लाख लोगों को ऋण वितरित किया गया इसमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या 264 लाख (24.42 प्रतिशत) थी। कुल रु. 959.07 लाख में से रु. 217.99 लाख (22.71 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति सदस्यों को ऋण वितरित किया गया।

सर्वेक्षित ऋणगृहीता परिवारों से संकलित जानकारी के अनुसार उन्हें 14.36 लाख ऋण की आवश्यकता के विरुद्ध रू. 13.63 लाख (94.92 प्रतिशत) ऋण उपलब्ध हो सका।

197 परिवारों में से 49 परिवारों (24.87 प्रतिशत) में ऋण उपलब्ध होने में कोई असुविधा न होना बताया है शेष परिवारों ने ऋण प्राप्त करने में कठिनाईयाँ होना स्वीकार किया है।

Scanned with CamScanner

सुझाव

छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजातियों को ऋण उपलब्धता सुगम करने निम्न उपाय किया जाना उचित होगा :–

(1) राज्य की आदिम जनजातियाँ (विशेष पिछड़ी जनजातियाँ) सामाजिक आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ी हुई हैं तथा अन्य जनजातियों में से भी अधिकांश जनजाति परिवार आर्थिक रूप से दुर्बल हैं अतः समस्त जनजाति परिवारों की आर्थिक उन्नति के उपायों को तीव्रतर करने की आवश्यकता है ताकि वे ऋण लेने तथा ऋण अदायगी हेतु सक्षम हो सकें ।

(2) निर्धन जनजाति व्यक्ति को ऋण उपलब्ध कराने कई तरह की कठिनाईयाँ आती हैं अतः अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) स्व सहायता समूह का विस्तार किया जाए तथा जनजाति स्व सहायता समूह को कम ब्याज दर पर अधिक मात्रा में कार्यशील पूंजी उपलब्ध करायी जाए ।

(3) राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा के लिए विस्तार हेतु, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना हेतु कारगर कदम उठाये जाये, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों में अनुसूचित क्षेत्र में बैंक खोलने तथा अंश पूंजी की बीमा संबंधी शर्तों को शिथिल कर सरलीकरण को समाविष्ट किया जाय ।

(4) जनजातियों को ऋण उलपब्ध कराने बैंकों को अधिक पूंजी प्रदान की जाय ।

23/6/14

संयुक्त संचालक
आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
रायपुर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट – 1

छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारी बैंक एवं कृषि/अकृषि साख समितियों की संख्या

क्रं.	बैंक नाम	जिला	पैम्स	लैम्पस	योग	भूमि विकास बैंक	नगरिक बैंक	साख समितियाँ
1.	रायपुर	रायपुर	167	36	203	01	05	39
2.		धमतरी	41	12	53	01	01	03
3.		महासमुंद						
	योग		208	48	256	2	6	42
4.	बिलासपुर	बिलासपुर	116	20	136	01	03	29
5.		कोरबा	0	27	27	0	0	08
6.		जांजगीर	121	0	121	01	0	03
7.		कवर्धा	11	03	14	01	0	0
	योग		248	50	298	03	03	40
8.	जगदलपुर	जगदलपुर	0	67	67	01	01	07
9.		कांकेर	01	34	35	01	–	01
10.		दंतेवाड़ा	0	76	76	0	0	01
11.		बीजापुर	0	0	0	0	0	0
12.		नारायणपुर	0	0	0	0	0	0
	योग		01	177	178	2	01	09
13.	राजनांदगाँव	राजनांदगाँव	66	23	89	01	0	11
14.		कवर्धा	37	09	46	01	0	0
	योग		103	32	135	02	0	11
15.	अपेक्स बैंक	रायगढ़	43	36	79	0	01	08
16.		जशपुर	0	17	17	0	0	0
	योग		43	53	96	0	01	10
17.	दुर्ग	दुर्ग	146	36	182	01	03	37
	योग		146	36	182	01	03	37
18.	अम्बिकापुर	सरगुजा	01	80	81	01	01	05
19.		कोरिया		23	0	0	0	05
	योग		01	103	81	01	01	10
	महायोग		750	499	1226	11	14	159

Scanned with CamScanner

सहकारी समितियाँ तथा अनुसूचित जनजाति की सदस्य संख्या
जिला—जशपुर

क्रं.	समिति का नाम	अनुसूचित जनजाति	कुल सदस्य
1.	पत्थलगाँव	1301	2945
2.	श्कलकिला	1117	1892
3.	त्मता	1379	2453
4.	घरजियाबथान	1107	16162
5.	लुड़ेगा	1208	2570
6.	बागबहरा	701	1600
7.	कोतबा	877	1713
8.	कुनकुरी	1091	5460
9.	कांसाबेल	1313	5960
10.	तपकरा	1102	3572
11.	गम्हरिया	1172	3393
12.	दुलदुला	1301	3409
13.	मनोरा	1109	3746
14.	बगीचा	1089	2559
15.	पंडरापाट	303	679
16.	सन्ना	417	1666
17.	कुराग	519	1582
	योग	17114	46640

Scanned with CamScanner

सहकारी समितियाँ तथा अनुसूचित जनजाति की सदस्य संख्या
जिला–रायपुर

क्रं.	समिति का नाम	अनुसूचित जनजाति	कुल सदस्य
1.	शोभा	453	1322
2.	धवलपुर	802	1358
3.	(बेरी) ढोरी	219	804
4.	बारूला	905	1260
5.	परसुली	1840	2992
6.	पाण्डुका	139	2452
7.	पाटसिवनी	329	733
8.	रसेला	645	893
9.	सोरिद	252	567
10.	उरमाल	389	1157
11.	दतुला	539	861
12.	आमदी	845	1036
13.	गरियाबंद	1642	3387
	योग	8999	18822

Scanned with CamScanner

सहकारी समितियाँ तथा अनुसूचित जनजाति की सदस्य संख्या
जिला–रायपुर

क्रं.	समिति का नाम	अनुसूचित जनजाति	कुल सदस्य
1.	नमनाकला	1673	4056
2.	कर्रा	1460	2203
3.	दरिमा	1766	3188
4.	मेण्ड्राकला भेण्ड्राकला	1019	2480
5.	लटोरी	1333	2692
6.	जयनगर	237	1344
7.	सलका	1069	3301
8.	चन्द्रमेढ़ा	1156	2175
9.	लखनपुर	587	3519
10.	अमेरा	1153	3481
11.	कुन्नी	1231	2439
12.	चान्दो	1082	2076
13.	सलका	1514	2620
14.	धौलपुर	1443	2723
15.	डूमरडीह	1135	1610
16.	ससौली	976	1707
17.	कुन्दीकला	959	1352
18.	बटवाही	1306	1843
19.	बरियों	826	1478
20.	गोपालपुर	834	1315
21.	सेवारी	538	825
22.	धंधापुर	737	1188
23.	बरगीडीह	1215	1946
24.	बतौली	1769	2959
25.	सेदम	1379	1830
26.	सीतापुर	4270	5113

Scanned with CamScanner

27.	प्रतापगढ़	1305	2343
क्रं.	समिति का नाम	अनुसूचित जनजाति	कुल सदस्य
28.	भूषू	1326	2305
29.	वन्दना	709	1097
30.	केरजू	630	851
31.	राजापुर	1794	2094
32.	कमलेश्वरपुर	247	835
33.	नर्बदापुर	335	831
34.	मंवरमाल	1332	4141
35.	त्रिकुन्डा	79	702
36.	(बलरायपुर) बलरामपुर	988	2321
37.	बरदर	408	1210
38.	प्रतापुर	618	2276
39.	दवनकरा	410	1489
40	कपिलादेवपुर	389	917
41.	सूरजपुर	1325	3688
42.	बसदेही	909	2707
43.	रामानुजनगर	936	2632
44.	देवनगर	1279	2798
45.	पोडी	594	1727
46.	पतरापाली	1776	2261
47.	गणेशपुर	1704	2754
48.	प्रेमनगर	1125	2264
49.	उमेश्वरपुर	1135	2258
50.	भैयाथान	771	2059
51.	नवगई	677	1514
	महायोग	55468	111648

Scanned with CamScanner

सहकारी समितियाँ तथा अनुसूचित जनजाति की सदस्य संख्या
जिला—कांकेर

क्रं.	समिति का नाम	अनुसूचित जनजाति	कुल सदस्य
1.	कांकेर (शाखा)	2242	3863
2.	न. नवागाँव	1847	3370
3.	बारदेवरी	2534	4156
4.	पीढ़ापाल	2826	4599
5.	पर्टोद	1314	1883
6.	नरहरपुर (शाखा)	1778	2777
7.	अमोड़ा	1028	1627
8.	सरोना	2857	4402
9.	दुधावा	1250	2294
10.	दबेना	1868	2217
11.	उमरादाह	220	2589
12.	बासनवाही	686	1241
13.	बुडेली	2175	3187
14.	चरामा (शाखा)	1457	3594
15.	हल्बा	1435	2676
16.	लखनपुरी	1678	3293
17.	पुरी	1797	3236
18.	हाराडुला	1712	4075
19.	डोकला	1506	2582
20.	कोड़तरा	1551	2712
21.	भानुप्रतापपुर (शाखा)	2583	2442
22.	संबलपुर	2895	4237
23.	कोरर	3093	4583
24.	आसूलकार	2043	2444
25.	दुर्ग कोंदल	2252	3177
	योग	48607	78247

Scanned with CamScanner

क्रं.	समिति का नाम	अनुसूचित जनजाति	कुल सदस्य
26.	कोड़ेकुर्से	2360	3320
27.	अतांगढ़ (शाखा)	2292	4308
28.	ताड़ोकी	1870	2669
29.	आमाबेड़ा	1901	2855
30.	कोयलीबेड़ा	3196	4572
31.	पंखाजूर (शाखा)	525	3919
32.	बड़े कापसी	1197	3610
33.	गोडाहूर	122	1327
34.	बदे	376	2117
35.	बरदा	396	1404
	महायोग	62842	108317

परिशिष्ट – 2

जिलेवार सार्वजनिक बैंक शाखाओं की संख्या, जमा एवं ऋण अनुपात

मार्च 2006

क्रं.	जिला	सार्वजनिक बैंक (रूपये करोड़ों में)			
		शाखायें	जमा	ऋण	जमा से ऋण का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	कोरिया	24	489	125	25.56
2.	स्रगुजा	34	685	266	38.83
3.	जशपुर	14	233	76	32.62
4.	रायगढ़	28	582	394	67.70
5.	कोरबा	38	881	470	53.35
6.	जांजगीर चाँपा	30	457	192	42.01
7.	थ्बलासपुर	64	3945	779	19.75
8.	कवर्धा	9	144	42	29.17
9.	राजनाँदगाँव	35	532	270	50.75
10.	दुर्ग	99	2787	1484	53.25
11.	रायपुर	123	5119	4229	82.61
12.	महासमुंद	21	228	126	55.26
13.	धमतरी	15	387	155	40.05
14.	कांकेर	12	177	77	43.50
15.	बस्तर	29	456	171	37.50
16.	दंतेवाड़ा	15	277	300	108.30
	योग	590	17379	9156	52.68

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट – 3

जिलेवार सार्वजनिक बैंक शाखाओं की संख्या, जमा एवं ऋण अनुपात

मार्च 2006

क्रं.	जिला	सार्वजनिक बैंक (रूपये करोड़ों में)			
		शाखायें	जमा	ऋण	जमा से ऋण का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	कोरिया	39	559	147	26.29
2.	सरगुजा	102	993	386	38.87
3.	जशपुर	37	751	458	60.98
4.	रायगढ़	65	751	458	60.98
5.	कोरबा	53	971	486	50.05
6.	जंजगीर चाँपा	54	546	224	41.02
7.	बिलासपुर	92	4448	844	18.97
8.	कवर्धा	20	183	62	33.88
9.	राजनाँदगाँव	71	672	314	46.73
10.	दुर्ग	159	3212	1562	48.63
11.	रायपुर	170	5902	4735	80.23
12.	महासमुंद	37	268	157	58.58
13.	धमतरी	27	428	173	40.42
14.	कांकेर	21	244	98	40.16
15.	बस्तर	48	492	216	36.49
16.	दंतेवाड़ा	32	353	317	89.80
	योग	1037	20466	10275	50.21

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट – 4
जिलेवार सार्वजनिक बैंक शाखाओं की संख्या, जमा एवं ऋण अनुपात
मार्च 2006

क्रं.	जिला	सार्वजनिक बैंक (रूपये करोड़ों में)			
		शाखायें	जमा	ऋण	जमा से ऋण का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	कोरिया	15	70	22	31.43
2.	सरगुजा	68	308	120	38.96
3.	जशपुर	23	111	20	18.02
4.	रायगढ़	37	169	64	37.87
5.	कोरबा	13	67	16	23.89
6.	जांजगीर चाँपा	24	88	32	36.36
7.	बिलासपुर	26	113	45	39.82
8.	कवर्धा	11	39	19	48.72
9.	राजनाँदगाँव	35	120	40	33.33
10.	दुर्ग	57	313	65	20.77
11.	रायपुर	36	162	50	30.86
12.	महासमुंद	16	41	31	75.61
13.	धमतरी	12	41	19	46.34
14.	कांकेर	9	67	22	32.84
15.	बस्तर	29	136	45	33.09
16.	दंतेवाड़ा	17	76	18	23.68
	योग	428	1921	628	32.69

Scanned with CamScanner